रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 6, 2015/कार्तिक 15, 1937
No. 297] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 6, 2015/KARTIKA 15, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटन-रोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2015

अंतिम जाँच परिणाम

विषय : चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एल्बेन्डाजोल के आयातों से संबंधित मामले में पाटन-रोधी जांच ।

1. **फा. सं. 14/31/2013-डीजीएडी.**—यतः मेसर्ज सीक्वेंट साईंटिफिक लिमिटिड (जिसे एतद्पश्चात 'आवेदक', 'याचिकादाता' या घरेलू उद्योग भी कहा गया है) ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें उसने पाटन और परिणामी क्षति का आरोप लगाते हुए चीन जनवादी गणराज्य से निर्यातित "एल्बेन्डाजोल" के उत्पादों (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयात और उनसे घरेलू उद्योग को होने वाली परिणामी क्षति से संबंधित मामले में पाटन-रोधी जाँच की शुरूआत करने तथा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित की जाने वाली संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है । इस संबंध में मेसर्ज के. ए. माल्ले फार्मेस्युटिकल लिमिटिड ने भारत में समान उत्पाद प्रस्तुत किए हैं और साथ ही आवेदन का समर्थन भी किया है ।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 11 सितंबर, 2014 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 14/31/2013-डीजीएडी के द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसमें संबंधित नियमावली के नियम 6 (1) के अनुसार कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने और पाटन-रोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए संबद्ध पाटन-रोधी जाँच की शुरूआत की है।

क. <u>प्रकिया</u>

3. संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है:

(क) प्राधिकारी ने नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्रवाई शुरू करने से पहले पाटन-रोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास/प्रतिनिधि को सूचित कर दिया था ।

(ख) प्राधिकारी ने संबंद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटन-रोधी जांच शुरू करने के बारे में भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 11 सितंबर, 2014 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी ।

(ग) प्राधिकारी ने जांच शुरू किए जाने की अधिसूचना की एक प्रति ऐसे सभी ज्ञात निर्यातकों (जिनके ब्यौरे आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को अग्रेषित कर दी थी और उन्हें पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (2) के अनुसार लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया था ।

(घ) प्राधिकारी ने जांच शुरू किए जाने की अधिसूचना की एक प्रति, भारत में संबद्ध वस्तु का आयात करने वाले आयातकों को भी उपलब्ध करा दी थी और उनको परामर्श दिया था कि वे इस पत्र के प्राप्त होने की तारीख से चालीस दिनों के भीतर अपने विचारों को लिखित रूप में उपलब्ध करा दें।

(ङ) प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार आवेदन पत्र के अगोपनीय वृतान्त की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों और भारत में चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास का उपलब्ध करा दी थी । आवेदन पत्र की एक प्रति उन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध करा दी गई थी, जिन्होंने इसका अनुरोध किया था ।

(च) प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों और विनिर्माताओं से संबद्ध सूचना प्राप्त करने के प्रयोजन से प्रश्नावलियों के साथ पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण (एमईटी) की प्रश्नावलियां भी भेजी हैं:-

1. चांगझाऊ याबांग – फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटिड, टिऑनरन टेक. बिल्डिंग, साईस एंड एजूकेशन, चांगझाऊ, जिआंग्सू, चीन जनवादी गणराज्य ।
2. सिनोकेम जिआंग्सू कंपनी लिमिटिड, जिन चेंग टॉवर, नान्जिंग 21002, चीन जनवादी गणराज्य ।
3. हूबेई झोंगजिया फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटिड, होक्यूईओ स्ट्रीट, टाईनमेन, चीन जनवादी गणराज्य ।
4. बूआन हेझोग फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटिड, झोंगशान रोड, बूचांग, जिला - बुहान सिटी प्रोविंस, चीन जनवादी गणराज्य ।

(छ) जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना के उत्तर में चीन से केवल एक उत्पादक/निर्यातक, चांगझाऊ याबांग – फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटिड (यावांग-क्यू एच), चीन जनवादी गणराज्य ने ही प्रश्नावली का उत्तर भेजा है । उक्त उत्तर को उनकी सहायक कंपनी नामत मेसर्ज लिआनयूगांग वाईएएचयूआई फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटिड (वाईएएचयूआई) और मेसर्ज चांगझाऊ क्यू एच फार्मास्युटिकल एंड टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटिड (क्यूएचपीटी) की ओर से प्रस्तुत किया गया है । निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्देश पर दूसरी आम सुनवाई के बाद इन सहायक कंपनियों ने अपने पृथक विस्तृत उत्तर भेजे हैं ।

(ज) आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं को पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार प्रश्नावलियां भेजी गई थी:-

1. सी. जे. शाह एंड कंपनी, मुंबई ।
2. मेडीफार्मा ड्रग हाउस, मुंबई ।
3. बिमल फार्मा, मुंबई ।
4. जेनरल इंपोर्ट, मुंबई ।
5. विद्या फार्मा, मुंबई ।
6. आशीष लाईफ साईंस, मुंबई ।

7. कांसेप्ट फार्मा, मुंबई ।

8. क्वालिटी फार्मा, मुंबई ।

9. फार्मांजा फार्मा, मुंबई ।

10. मेक्सहील फार्मा, मुंबई ।

11. सिपला लिमिटिड, मुंबई ।

(झ) संबद्ध वस्तुओं के किसी भी आयातक/निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं भेजा है ।

(ञ) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण के अगोपनीय अंश को उपलब्ध कराया है और हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण के लिए उसे एक सार्वजनिक फाइल के रूप में खुला रखा है । सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को इस अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना में शामिल किया गया है ।

(ट) विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकडों के संबध में गोपनीयता के दावे की जांच की गई है । ऐसी सूचना जो कि प्रकृति स्वरूप गोपनीय है अथवा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जिसे गोपनीयता के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, उसे उसके अगोपनीय संक्षिप्त विवरण के साथ गोपनीय माना गया है ।

(ठ) इसके अतिरिक्त जितना भी आवश्यक समझा गया है आवेदक ओर अन्य हितबद्ध पक्षकारों से और सूचना मांगी गई थी। घरेलू उद्योग और सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की जांच के प्रयोजनार्थ जितना आवश्यक समझा गया है, जांच की गई है ।

(ड) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकन सिद्धंत (जीपीए) और पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-3 के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन की ईष्टतम लागत और उसे बनाने और बेचने की लागत पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) को ज्ञात किया गया है, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि पाटन मार्जिन से कम पाटन-रोधी शुल्क, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा ।

(ढ) यह जांच 1 अप्रैल, 2013 से शुरू होकर 31 मार्च, 2014 (जिसे आगे "जांच अवधि" अथवा "पीओआई" कहा गया है) तक की गई है । क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में 2010 – 11, 2011 – 12, 2012 – 13 और जांच अवधि (पीओआई) शामिल है ।

(ण) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से जाँच अवधि सहित विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्योरे की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था । प्राधिकारी ने इस जाँच परिणाम के प्रयोजनार्थ डीसीआईएंडएस से प्राप्त किए गए आंकड़ों पर भरोसा किया है ।

(त) पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को 14 जुलाई, 2015 को आयोजित आम सुनवाई में मौखिक रूप से सूचना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया था । निर्दिष्ट प्राधिकारी के बदल जाने को ध्यान में रखते हुए नए निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष अपनी सूचना प्रस्तुत करने का एक और अवसर देने के प्रयोजन से दूसरी मौखिक आम सुनवाई 11 अगस्त, 2015 को की गई थी । हितबद्ध पक्षकारों को प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना/किए गए विचारों पर पुनरूत्तर पेश करने का अवसर प्रदान किया गया था । प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों पर उपयुक्त रूप से विचार किया है ।

(थ) इस निष्कर्ष में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार किये जाने का परिचयाक है ।

(द) जांच की अवधि के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों, दिए गए तर्कों और सूचना तथा उसके बाद किए गए प्रकटन जिसे साक्ष्य द्वारा समर्थन किया गया है और जिसे मौजूदा जांच के लिए प्रासंगिक माना गया है, पर प्राधिकारी द्वारा इस प्रकटन दस्तावेज में उपयुक्त रूप से विचार किया गया है ।

(ध) सीमा शुल्क विभाग द्वारा प्रकाशित विनिमय दर के अनुसार संबद्ध जांच के लिए अमरीकी डालर को रूपयों में परिवर्तन करने की विनिमय दर 1 अमरीकी डालर = 61.1 रूपए मानी गई है ।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. विचाराधीन उत्पाद जांच प्रारंभ करने संबंधी दिनांक 11 सितंबर की अधिसूचना में यथा अधिसूचित "एलबेन्डाजोल" है । एल्बेन्डाजोल मुख्य स्पेक्ट्रम औषध है जिसमें एंथिमाइनाइटिक (डि-वोर्मर) निहित है, जिसका प्रयोग मानव के साथ-साथ जानवरों (पशुचिकित्सा) के अनुप्रयोग के लिए किया जाता है । एल्बेन्डाजोल का रासायनिक नाम मेथिल (5 –प्रापीईलसल्फनील – 3 एच-बेनेजोआईमिडाजोल-2-वाईल) एमिनो-फोर्मेट है लेकिन इसे व्यापारिक भाषा शैली में विभिन्न व्यापारिक नामों से जाना जाता है, जैसे कि - एल्बेंजा, वाल्वाजेन (आर), इस्काजोल, जेंटेलैंड एंडाजोल । इसका मालेक्यूलर फोर्मूला सी12एच15एन3028 है ।

5. एल्बेन्डाजोल का मुख्य प्रयोग, इसकी अत्यधिक खुराक और नियमित रूप से उपयोग किए जाने के कारण, मानवीय चिकित्सा की अपेक्षा पशु चिकित्सा के लिए अधिक किया जाता है । इसका रंग श्वेत और हल्का श्वेत पाउडर होता है जिसका उपयोग किटाणुओं जैसे कि पोर्क टेपवोर्म और डोग टेपवोर्म के कारण हुए संक्रमण के लिए किया जाता है । मानवों के लिए इसकी खुराक गोलियों में दी जाती है जबकि पशुओं के लिए इसे तरल पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है । एल्बेन्डाजोल एक एपीआई (सक्रिय फार्मेस्युटिकल पदार्थ) है, जिसक उपयोग मुख्यतया औषध के फार्मूलेशन के लिए कियाजाता है जैसे कि जैंटेल (जीएसके द्वारा) और बैंडेक्स (सिपला द्वारा) ।

6. संबद्ध उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 में टैरिफ शीर्ष 29 33 2950 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है । याचिकादाता द्वारा यह दावा किया गया है कि संबद्ध वस्तुएं का आयात अन्य शीर्षों के अंतर्गत भी किया जा रहा है, जैसे कि 23 09 909, 29 33 1100, 29 33 2990, 29 33 5990, 29 33 9090 आदि ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

7. वर्तमान जांच में किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कोई विशिष्ट मुद्दा नहीं उठाया गया है ।

8. रिकार्ड में उपलब्ध जानकारी पर विचार करने के बाद प्राधिकारी ने यह माना है कि संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है । घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित विचाराधीन उत्पाद और संबद्ध आयातित उत्पाद, उनकी वास्तविक और रासायनिक विशेषताएं, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, वितरण और विपणनतथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के कारण तुलनीय हैं ।

9. इस प्रकार प्राधिकारी का यह मानना हैं कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद, पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार विचाराधीन संबद्ध उत्पाद के ही समान है ।

ग. घरेलू उद्योग और उसके आधार का क्षेत्र

निर्यातक के विचार

10. निर्यातक के विचार निम्नानुसार हैं:-

(क) घरेलू उद्योग द्वारा दो अन्य उत्पादकों नामत मेसर्ज केडचेम लेबोरेटरीज लिमिटिड और मेसर्ज वर्धमान केमटेक लिमिटिड के बारे में कोई ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं ।

(ख) इन दोनों उत्पादकों के उत्पादन और बिक्रियों के बारे में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही आवेदन पत्र में क्षति की विचार की गई जांच अवधि के किसी भी वर्ष का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । इसलिए घरेलू उद्योग का तर्क न्यायोचित नहीं है ।

घरेलू उद्योग के विचार

11. घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैं:-

(क) घरेलू उद्योग भारत में संबद्ध वस्तु का सबसे बडा उत्पादक है जिसका संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादन में 88% का योगदान है ।

(ख) मेसर्ज के. ए. माल्ले फार्मस्युटिकल्स लिमिटिड भी भारत में इस प्रकार के समान उत्पादों का उत्पादन करती है और उसके मौजूदा याचिका का समर्थन किया है ।

(ग) याचिकादाता के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार मेसर्ज केडचेम लेबोरेटरीज लिमिटिड और मेसर्ज वर्धमान केमटेक लिमिटिड की बहुत सीमित क्षमता है । ये कंपनियां मूल उत्पादन चरण में संबद्ध वस्तुओं का निर्माण नहीं कर रही हैं और केवल भारत में अर्ध-परिष्कृत वस्तुओं का कुछ संसाधन कार्य ही कर रही हैं, जैसे कि अपरिष्कृत एल्बेंडाजोल को परिशुद्ध एल्बेंडाजोल में परिवर्तित करना । यह दोनों कंपनियां संबद्ध देश से संबद्ध उत्पाद का नियमित रूप से आयात कर रही हैं । इसलिए इन दोनों कंपनियों को घरेलू उद्योग के एक अंश के रूप में नहीं माना जाना चाहिए ।

(घ) याचिकादाता द्वारा किए गए दावे का खंडन करने के लिए किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई अतिरिक्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है ।

<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

12. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा वर्तमान जांच के दौरान घरेलू उद्योग के कार्य क्षेत्र और उसकी अवस्थिति के संबंध में किए गए तथा प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माने गए निवेदनों का निदान निम्नानुसार किया गया है:-

(क) प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटन रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

''घरेलू उद्योग'' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है ।

13. उपरोक्त नियम के अनुसार प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक समान वस्तु का सबसे बडा उत्पादक है और कुल घरेलू उत्पादन में इसका प्रमुख अनुपात बनता है ।

14. मेसर्ज केडचेम लेबोरेटरीज लिमिटिड और मेसर्ज वर्धमान केमटेक लिमिटिड के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन कंपनियों द्वारा कोई निवेदन नहीं किया गया है । किसी भी पक्षकार ने घरेलू उद्योग के दावों का ऐसा कोई खंडन नहीं किया है कि यह दोनों कंपनियां इस समय संबद्ध उत्पादों का उत्पादन नहीं करती हैं । इसके अतिरिक्त ये कंपनियां चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं का आयात करती हैं। इसलिए प्राधिकारी का यह निष्कर्ष देने का प्रस्ताव है कि ये दोनों कंपनियां इस जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग का भाग नहीं बनती हैं ।

15. याचिकादाता के अतिरिक्त मेसर्ज के. ए. माल्ले फार्मस्युटिकल्स लिमिटिड भी भारत में समान उत्पाद का उत्पादन करती है । दर्ज सूचना के अनुसार मेसर्ज के. ए. माल्ले फार्मस्युटिकल्स लिमिटिड ने इस संबंध में याचिकादाता द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका का समर्थन किया है । संबद्ध वस्तुओं के घरेूल उत्पादन में आवेदक का योगदान 88% है ।

16. उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए और जांच करने के बाद प्राधिकारी का प्रस्ताव है कि आवेदक पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) और नियम 5 (3) की अपेक्षाओं को पूर्णतया संतुष्ट करता है और नियम 2 (ख) की परिभाषा के अंतर्गत घरेलू उद्योग बनता है ।

घ. <u>न्यूनतम सीमा</u>

17. महानिदेशक, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय (डीजीसीआई एंड एस) और अन्य द्वितीयक स्रोतों (आईबीएस) से प्राप्त आयात के आंकडों तथा संबद्ध देश से सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकडों के अनुसार संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात न्यूनतम स्तर से अधिक पाए गए हैं ।

ङ. <u>गोपनीयता</u>

<u>प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

18. निर्यातक के विचार निम्नानुसार हैं:-

(क) घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता बनाए रखने का दावा किया है और अत्यधिक सूचना को गोपनीय रखने का दावा किया है जिसके लिए उसने कोई कानूनी कारण नहीं बताया है तथा ऐसा नियमों और माननीय प्राधिकारी द्वारा

निर्धारित की गई विस्तृत प्रक्रिया का उल्लंघन करना है। प्रस्तुत किए गए अगोपनीय आवेदन पत्र में अत्यधिक कमी है और निर्यातकों को अपनी रक्षा में कोई निवेदन करने का कोई उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है ।

(ख) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र के अगोपनीय वृतान्त, गोपनीय वृतान्त की प्रतिकृति नहीं है। अगोपनीय वृतान्त के घरेलू उद्योग के आवेदन पत्र के गोपनीय वृतान्त की प्रतिकृति नहीं होने के कारण निर्यातकों को, प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी प्रमाणों पर टिप्पणियां देने के अवसर से वंचित रखा गया है ।

(ग) घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन पत्र के साथ उसे आईबीआईएस से प्राप्त हुए कच्चे/मूल आयात के आंकडों की एक्सिल फाईल की हार्ड प्रति और सॉफ्ट प्रति प्रस्तुत नहीं की है और न ही उसने ऐसा कोई संकेत दिया है कि उसे प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया है ।

(घ) घरेलू उद्योग ने वर्ष – अप्रैल 2010 – मार्च, 2011, अप्रैल 2011 – मार्च, 2012, अप्रैल 2012 – मार्च, 2013 और अप्रैल 2013 – मार्च, 2014 के लिए आईबीआईएस के छांटे गए आंकडों की भी एक्सिल फाईल प्रस्तुत नहीं की है ।

(ङ) इसके अतिरिक्त आईबीआईएस से प्राप्त हुए कच्चे/मूल आयातों के आंकडों से निकाले गए कारोबार की सूची भी प्रदान नहीं की है ।

(च) घरेलू उद्योग ने दो अन्य घरेलू उत्पादकों के नाम भी निर्दिष्ट किए हैं । तथापि, ऐसे कोई ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं जिससे ऐसा पता चलता हो कि उन्होंने कब संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करना बंद किया है । इसके अतिरिक्त इन दोनो उत्पादकों के उत्पादन और बिक्रियों संबंधी कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही आवेदन पत्र में विचारित क्षति की किसी जांच अवधि का उल्लेख किया गया है ।

(छ) प्रतिशत के रूप में आरओसीई में हुए लाभ/हानि और मालसूची को गोपनीय रखा गयाहै।

<u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

19. घरेलू उद्योग द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं:-

(क) आवेदनपत्र का अगोपनीय वृतान्त, गोपनीय वृतान्त की ही प्रतिकृति है ।

(ख) याचिकादाता ने जहां कहीं भी सूचना गोपनीय थी वहां सूचीबद्ध आंकडे प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त जहां कहीं भी संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है, याचिकादाता ने निर्दिष्ट प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए उसके कारणों का उल्लेख किया है।

(ग) आईबीआईएस से प्राप्त हुए आयातों के पूरे कच्चे आंकडे प्रदान किए गए हैं और इनमें संबद्ध वस्तुओं से संबंधित सभी मदें निहित हैं । इसलिए कच्चे आंकडों में आंकडों की छंटाई किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(घ) प्रतिशत के रूप में आरओसीई में हुए लाभ/हानि को अगोपनीय वृतान्त में शामिल किया गया है ।

(ङ) सूचीबद्ध यूनिटों के रूप में माल सूची को अगोपनीय वृतान्त में शामिल किया गया है ।

(च) याबांग-क्यूएच ने सामग्री की कीमत निर्धारण के आधार का ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है कि उसने इसे अपने से संबंधित कंपनी याहुआई से खरीदा था । याबांग-क्यूएच ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि उसने ऐसा कैसे निर्धारित किया है कि ऐसा कीमत निर्धारण उचित बाजार कीमत को प्रतिबिम्बित करता है ।

(छ) याबांग-क्यूएच बिक्रियों के सौदों की कुल मात्रा पर गोपनीयता का दावा नहीं कर सकती है ।

(ज) याबांग-क्यूएच ने प्रश्नावली के उत्तर में वीएटी की प्रतिपूर्ति की दर का प्रकटन नहीं किया है ।

<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

20. गोपनीयता के बारे में वर्तमान जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न निवेदन और प्राधिकारी द्वारा विचारित प्रासंगिक निवेदनों की जांच की गई है और उनका समाधान पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7 के अनुसार किया गया है ।

21. गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में गोपनीयता के आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त की गई सूचना की जांच की गई है। इनसे संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां कहीं भी उपयुक्त समझा गया है, वहां गोपनीयता

के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है । जहां कहीं भी संभव हुआ है वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के पर्याप्त अगोपनीय वृतान्त प्रस्तुत करें । प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणों के अगोपनीय वृतान्त को सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध कराया है ।

22. आयात के आंकडों के संबंध में प्राधिकारी ने डीजीसीआईएस के आंकडों पर भरोसा किया है और इसे सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध कराया है । सभी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर उनकी सॉफ्ट प्रति प्रदान की गई है ।

पाटन का मूल्यांकन – कार्य प्रणाली और प्राचल

च. सामान्य मूल्य, बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

(क) सामान्य मूल्य

23. धारा 9 (1) (ग) के अंतर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य यह है कि -

(1) *व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश अथवा क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*

(2) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा ।

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश अथवा क्षेत्र अथवा किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

(ख) उप-धारा के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत और लाभ के लिए उचित वृद्धि के साथ उद्गम देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत,

परंतुक यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा ।

(ख) गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से संबंधित प्रावधान

24. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध -1 में निम्नोक्त व्यवस्था है :-

"7. गैर - बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा परिकलित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिसमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त तरीके से एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा जिसके लिए संबंधित देश के विकास के स्तर और संबंधित उत्पाद को ध्यान में रखने के साथ-साथ ऐसा चयन किए जाने के समय उपलब्ध कराई गई किसी भी प्रकार की सूचना को भी ध्यान में रखा जाएगा । जहां कहीं भी आवश्यक होगा वहां किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के किसी अन्य मामले की जांच को भी समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा । जांच से संबंधित पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किए जाने के बारे में अकारण बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें उपयुक्त समय अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

8. (1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" के पारिभाषिक शब्द का अभिप्राय ऐसे किसी भी देश से है जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसा निर्धारित करते हैं कि वह बाजार के सिद्धांतों के अनुसार लागत अथवा कीमत निर्धारण के ढांचों के

अनुसार प्रचालन नहीं कर रहा है ताकि ऐसे देश को सामान की बिक्री, उप-पैरा (3) में विनिश्चित मानदंड के अनुसार माल के मान मूलय को निर्दिष्ट नहीं करती है ।

(2) ऐसी पूर्वधारणा है कि ऐसे किसी भी देश जिसका निर्धारण किया जाना है, अथवा जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अथवा विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश द्वारा ऐसी जांच से पूर्व तीन वर्ष की अवधि में पाटन-रोधी जांच के प्रयोजनार्थ गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है, एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है ।

परन्तुक कि गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश अथवा ऐसे देश से संबंधत फर्में निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी सूचना और साक्ष्य प्रस्तुत कर ऐसी पूर्वधारणा का खंडन कर सकती हैं जिनसे यह सिद्ध होता हो कि उप-पैरा (3) में विनिश्चित मानदंड के अनुसार ऐसा देश गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है ।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या –

(क) ऐसे देश में संबंधित फर्मों का कच्चे माल, प्रोद्योगिकी और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों और निवेश की लागत सहित कीमतों, लागत और अंतरनिविष्टियों का निर्धारण संबंधी निर्णय, बाजार के संकेतों के उत्तर में किया जाता है, जो कि आपूर्ति और मांग की स्थिति को निर्दिष्ट करते हैं और ऐसा इस संबंध में राज्य के विशेष हस्तक्षेप के बिना किया जाता है और क्या मुख्या अंतर निविष्टियों की लागत बाजार मूल्यों को पर्याप्त रूप से प्रतिबिम्बित करती हैं ।

(ख) ऐसी फर्मों के उत्पादन की लागत और वित्तीय स्थिति, भूतपूर्व गैर-बाजार अर्थव्यवसथा की प्रणाली से की गई विशेष विकृति के अध्यधीन है, विशेष कर परिसम्पतियों के मूल्यह्रास होने, अन्य राशि को बट्टे खाते डाले जाने, विनिमय व्यापार किए जाने और भुगतान ऋणों की प्रतिपूर्ति किए जाने के एवज के प्रसंग में ।

(ग) ऐसी फर्में दीवाला और सम्पति नियमों के अध्यधीन होती हैं जो कि कानूनी निश्चिंतता और फर्मों के प्रचालन की स्थिरता की गारंटी देते है ।

(घ) विनिमय दर में परिवर्तन बाजार की दर के अनुसार किया जाता है ।

परन्तुक कि जहां इस पैराग्राफ में विनिश्चित मानदंड के आधार पर लिखित रूप में प्रसमुत किए गए पर्याप्त साक्ष्य से ऐसा पता चलता है कि बाजार की दशाएं एक अथवा अधिक के लिए प्रचलित होती हैं, तो उस स्थिति में संबद्ध फर्में पाटन-रोधी जांच के अध्यधीन होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैराग्राफ 7 और इस पैराग्राफ में निर्धारित किए गए सिद्धांतों के बजाए पैराग्राफ 1 से 6 में निर्धारित किए गए सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं ।

<u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

25. सामान्य मूल्य के संबंध में आवेदक द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

(क) प्राधिकारी द्वारा विगत मामलों में अपनाए गए दृष्टिकोण तथा अन्य देशों में जांच प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए । सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए चीन के उत्पादकों की लागत और कीमत पर भरोसा नहीं रखा जा सकता है ।

(ख) याचिकादाता ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की निर्मित लागत के आधार पर संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है ।

(ग) सामान्य मूल्य का निर्माण, पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 में पैराग्राफ 7 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार किया जाता है । आवेदक कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहा है । इसलिए आवेदक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अनुपालन की जा रही सुसंगत प्रकिया के अनुसार उत्पादन की अपनी निजी लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्मित किया है ।

(घ) हितबद्ध पक्षकार अपने अधिकारों का प्रयोग करने और जांच शुरू करने की अधिसूचना में यथा उल्लिखित समय सीमा के भीतर निवेदन करने में विफल रहे हैं ।

(ङ) हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए ऐसे तृतीयक देश जहां कि ऐसी संबद्ध वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, किसी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का कोई सुझाव नहीं दिया है ।

(च) चीन जनवादी गणराज्य से किसी भी निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था के निरूपण का कोई दावा नहीं किया है। इसलिए इससे ऐसा स्पष्ट पता चलता है कि निर्यातक याचिकादाता के इस आशय के निवेदनों से सहमत हैं कि चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था (एनएमई) के रूप में माना जाए और सामान्य मूल्य का परिकलन, पाटन-रोधी नियमावली के पैराग्राफ 7 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार किया जाए ।

<u>निर्यातक के विचार</u>

26. निर्यातक द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

(क) चीन जनवादी गणराज्य, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था (एनएमई) वाला देश है और चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण, पाटन-रोधी नियमावली के पैराग्राफ 7 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार किए जाने की आवश्यकता है ।

(ख) निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह पहले सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए तृतीय देश की बाजार अर्थव्यवस्था की पहचान करे और जहां ऐसा करना संभव नहीं हैं वहां ऐसे तृतीय देश से आवश्यक आंकडे प्राप्त करे । सामान्य मूल्य का निर्धारण, किसी भी अन्य यथोचित आधार पर किया जाए जिसमें समान उत्पाद के लिए वास्तव में अदा की गई कीमत अथवा भारत में देय कीमत शामिल है और यदि आवश्यक हो तो उसे विधिवत समायोजित किया जाए ताकि उचित लाभ मार्जिन को भी शामिल किया जा सके ।

(ग) तृतीय देश का चयन किए जाने के बारे में हितबद्ध पक्षकारों को कोई सूचना नहीं दी गई है और न ही हितबद्ध पक्षकारों से तृतीय देश के बारे में सुझाव देने और आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने का कोई अनुरोध किया गया है । यह शेनियांग मत्शुशिष्टा 2005 (181) ईएलटी (एससी) का उल्लंघन करना है ।

(घ) घरेलू उद्योग ने घरेलू लागत के आधार पर चीन के निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है और इसने शेनियांग मत्शुशिष्टा 2005 (181) ईएलटी 320 (एससी) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए और पैरा 7 में यथा निर्धारित अनिवार्य क्रियाविधि का अनुसरण नहीं किया है । पैरा 7 में यथानिर्धारित अनुक्रम विधियों का अनुसरण करने की आवश्यकता है तथा भारतीय लागत और कीमतों पर भरोसा करके सामान्य मूल्य का निर्धारण करना अंतिम विधि है तथा इसका अनुसरण तभी किया जाना चाहिए जबकि पैरा 7 के प्रारंभिक वाक्यांश में निर्धारित अन्य विकल्पों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाना संभव नहीं हो । इस प्रकार अनिवार्य प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किए जाने की स्थिति में मौजूदा कार्रवाई को जारी नहीं रखा जा सकता है और यह शेनियांग मत्शुशिष्टा के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए असाध्य हो गया है ।

<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

<u>बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण और सामान्य मूल्य</u>

27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं और इसलिए प्राधिकारी चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों/निर्यातकों के बाजार अथव्यवस्था के दावों की जांच करने में असमर्थ हैं । तदनुसार प्राधिकारी का प्रस्ताव है कि सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए चीन जनवादी गणराज्य में सामान्य मूल्य का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध – 1 के पैरा 7 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार किया जाए ।

28. हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन के संबंध में प्राधिकारी को पहले सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिीए तृतीय देश की बाजार अर्थव्यवस्था की पहचान करनी अपेक्षित है और केवल उसी मामले में जहां कि ऐसे तृतीय देश से आवश्यक आंकडे प्राप्त करना संभव नहीं है, सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी अन्य उचित आधार पर करना चाहिए जिसमें भारत में वास्तव में अदा की गई अथवा देय कीमत शामिल हो । प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया है कि किस बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश पर विचार किया जाए और ऐसी कोई सूचना भी उपलब्ध नहीं कराई है ।

29. प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध – 1 के पैरा 7 में उल्लिखित दूसरे प्रावधान के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने की कार्रवाई करते हैं ।

तदनुसार पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध – 1 के पैरा 7 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित आधार पर चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य निर्मित किया गया है :-

(क) मुख्य कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार किया गया है ।

(ख) घरेलू उद्योग से उपलब्ध सूचना/आंकडों के आधार पर कच्चे माल की खपत और परिवर्तन की लागत को अपनाया गया है ।

(ग) बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक लागतों को घरेलू उद्योग के सूचना/ आंकड़ों के आधार पर लिया गया है।

(घ) ब्याज के बिना एक्स–फैक्टरी की 5% की दर से लाभ पर विचार किया गया है।

इस तरह से प्रस्तावित सामान्य मूल्य को नीचे दी गई तालिका में पाटन मार्जिन में निर्दिष्ट किया गया है ।

ग. <u>निर्यात कीमत</u>

<u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

30. निर्यात कीमत के संबंध में आवेदकों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

(क) घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार संबद्ध उत्पाद पर वाट (वीएटी) की दर 17 % है और प्रतिपूर्ति की दर 9 % है । इसलिए प्राधिकारी को एक्स–फैक्टरी की निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए निर्यात कीमत को 8 % तक कम करना चाहिए ।

(ख) याबांग-क्यूएच समूह की समग्र मूल्य श्रृंखला के असहयोग के कारण इसे असहयोगी माना जाना चाहिए ।

(ग) याहुआई और क्यूएचपीटी दोनों ने संबद्ध जांच के लिए प्रश्नावलियों के अपने पृथक उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं । याबांग-क्यूएच ने वस्तुतः अपने उत्तर में याहुआई और क्यूएचपीटी से संबंधित आंकडों को शामिल करके अपनी प्रश्नावलियों के प्रत्युत्तरों में भ्रामकता पैदा कर दी है ।

(घ) याबांग-क्यूएच के उत्तर में याहुआई और क्यूएचपीटी दोनों के संबंध में पूरी सूचना निहित नहीं है । पूरी सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति के फलस्वरूप ये उत्तर स्वतः ही खारिज हो जाते हैं ।

(ङ) सभी संबंधित कंपनियों का यह कानूनी दायित्व होता है कि वे पृथक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करें । याबांग-क्यूएच, याहुआई और क्यूएचपीटी के संयुक्त उत्तर दुर्भावपूर्ण प्रयोजन से प्रस्तुत किए गए हैं ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी से जटिल तथ्यों को छिपाया जा सके ।

(च) जांच अवधि के दौरान याहुआई, जो कि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करती है, याबांग-क्यूएच को मध्यवर्ती कच्चा माल की आपूर्ति के कार्य में लगी हुई थी । इसलिए जब कोई कंपनी जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने में नहीं लगी हुई होती है, तो उसे उत्पादक कंपनी नहीं माना जा सकता है । जांच अवधि के पश्चात संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने से कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करना अनिवार्य होता है । इसलिए याहुआई को कोई शुल्क दर स्वीकार नहीं की जा सकती है ।

(छ) प्राधिकारी को याहुआई और क्यूएचपीटी के जांच की ऐसे विलंबित चरण में प्रस्तुत किए गए उत्तरों को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए । इसी प्रकार की प्रक्रिया निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विगत पाटन-रोधी जांच में अपनाई गई है ।

(ज) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने (1) चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सेकेरीन, (2) चीन जनवादी गणराज्य से शीट ग्लास और (3) चीन जनवादी गणराज्य से आर – 134 क के आयातों से संबंधित अंतिम पाटन-रोधी जांच पुनरीक्षा में निर्यातकों द्वारा विलंब से प्रस्तुत किए गए उत्तर को असवीकार कर दिया है । इसलिए याहुआई और क्यूएचपीटी के उत्तर को जांच के इतने विलंबित चरण में स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

<u>निर्यातक के विचार</u>

31. निर्यातक के निवेदन निम्नानुसार हैं:-

(क) कंपनी ने यह बताया है कि उन्होंने संपूर्ण मूल्य श्रृंखला से संबंधित सभी ब्यौरे प्रदान कर दिए हैं । मेसर्ज चांघझोऊ फार्माकेम कंपनी लिमिटिड (याबांग क्यूएच) एक धारक कंपनी है और अन्य दो कंपनियां नामतः मेसर्ज

लिआनयुंगैंग वाईएएचयूआई फार्माकेम कंपनी लिमिटिड (याहूई) और मेसर्ज चांघझाऊ क्यूएच फार्मास्युटिकल एंड टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटिड (क्यूएचपीटी) उसकी 100 % पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियां हैं । इसलिए धारक कंपनी कानूनी रूप से अपनी 100 % पूर्णतया स्वामित्वाधीन दोनों सहायक कंपनियों के संयुक्त उत्तर में शामिल करते हुए ब्यौरे प्रस्तुत कर सकती है । इसके अतिरिक्त क्यूएचपीटी और याहुआई के लिए पृथक सूचना प्रस्तुत करने से कोई नई सूचना प्रस्तुत नहीं की जाएगी तथा पहले से ही प्रस्तुत की गई सूचना को ही केवल पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा । यह उल्लेख किया गया है कि इसी प्रकार की परिस्थितियों में *ओमन, सऊदी अरब और सिंगापुर से पोलीप्रोपलीन और पीवीसी ससपेंशन रेसिन्स* से संबंधित जांच में, प्रत्येक कंपनी के पृथक उत्तर प्रस्तुत करने के बारे में कहे बिना ही अनेक कंपनियों के संयुक्त उत्तरों को स्वीकार कर लिया गया था। तथापि, निर्यातक को क्यूएचपीटी और याहुआई के लिए पृथक उत्तर प्रस्तुत करने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

(ख) उन्होंने आगे यह भी कहा है कि मेसर्ज चांघझोऊ क्यू एच फार्मास्युटिकल और टेक्नालाजी कंपनी लिमिटिड (क्यूएचपीटी) द्वारा जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यात की गई संबद्ध वस्तुएं मेसर्ज चांघझोऊ फार्माकेम कंपनी लिमिटिड (याबांग क्यूएच) द्वारा विनिर्मित की गई हैं । दूसरी सहायक कंपनी, मेसर्ज लिआनयुंगैंग वाईएएचयूआई फार्माकेम कंपनी लिमिटिड (याहूई) ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण नहीं किया था क्योंकि वह उस समय एल्बेन्डाजोल का विनिर्माण करने के लिए याबांग क्यूएच के लिए एल्बेन्डाजोल के मध्यवर्ती उत्पाद (एमिनो-4-प्रोप्लिथिओ-एनीलाईन और सायनाईड केरबेमेटे) का विनिर्माण और आपूर्ति कर रही थी । याहूई द्वारा विनिर्मित मध्यवर्ती पदार्थ की लागत, एल्बेन्डाजोल की कुल लागत का 87.4% बनती है । इस समय याहूई भी संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन कर रही है । चूंकि सभी तीनों कंपनियां सामूहिक कंपनियां है और एक सामान्य नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन हैं, इसलिए उनके लिए एकल पाटल मार्जिन का निर्धारण, विश्व व्यापार संगठन के पाटन-रोधी अधिनियम के अनुच्छेद 6.0 के अनुसार किया जाए और उन पर एकल शुल्क, यदि कोई हो, लगाया जाए ।

(ग) इंडोनेशिया से "सर्टेन पेपर" पर कोरिया के पाटन-रोधी शुल्कों की पेनल रिपोर्ट में, पेनल ने यह निर्णय लिया है कि अनुच्छेद 9.5 में सुदृढता से यह सुझाव दिया गया है कि अनुच्छेद 6.10 में "निर्यातक" पारिभाषिक शब्द को इस तरह से नहीं पढा जाए जिससे कि सभी परिस्थितियों में प्रत्येक स्वतंत्र वैधिक सत्व के लिए पाटन के पृथक मार्जिन की आवश्यकता हो । इस प्रकार अनुच्छेद 6.10, एकल निर्यातक अथवा उत्पादक को, पाटन-रोधी जांच में पाटन का निर्धारण करने के प्रयोजन से विशिष्ट वैधिक सत्वों को प्रतिपादित करने में अनिवार्यतः प्रतिबाधित नहीं करता है । जब कि किसी जांच में पाटन के मार्जिन का निर्धारण करने के लिए बहुविध कंपनियों को एकल निर्यातक अथवा उत्पादक के रूप में प्रतिपादित करने के लिए यह देखा जाए कि क्या ऐसी कंपनियां पारस्परिक रूप से इतना घनिष्ठ संबंध रखती है कि उनके ऐसे प्रतिपादन का समर्थन किया जाए । इस प्रकार पेनल की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए यह देखा जाना है कि चूंकि ये तीनों कंपनियां पूर्णतया एक ही प्रबंधन और नियंत्रण अधीन हैं, इसलिए उन्हें न्यायिक हित में विश्व व्यापार संगठन के पाटन-रोधी अधिनियम के अनुच्छेद 6.0 के अनुसार एकल आर्थिक सत्व के रूप में प्रतिपादित किया जा सकता है क्योंकि याहूई के कोई नया पोतवणिक अधिकार उपलब्ध नहीं होगा।

(घ) निर्यातक ने चीन जनवादी गणराज्य के मूल के कुछ सेडल्स के आयातों के मामले में यूरोपीय कमीशन के अंतिम निर्णय (काउंसिल विनियमन (ईसी) संख्या 691/2007 दिनांक 18 जुलाई, 2007) की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें यूरोपीय कमीशन ने इसी प्रकार की स्थिति में लागू सामूहिक कंपनियों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन को ऐसे अन्य सामूहिक कंपनी पर लागू किया था जिसने जांच अवधि के दौरान यूरोपीय यूनियन को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात नहीं किए थे । यूरोपीय कमीशन के इस निर्णय के संबद्ध उद्धरण, प्राधिकारी के सुलभ संदर्भ के लिए नीचे प्रस्तुत किए गए हैं ।

"(19). एक सहयोगी निर्यातक उत्पादक ने दावा किया है कि पृथक पाटन मार्जिन, समूह की ऐसी एक कंपनी को भी प्रदान किया जाना चाहिए जिसने कि जांच अवधि के दौरान यूरोपीय कमीशन को निर्यात नहीं किया था । इस तथ्य को देखते हुए कि समूह ने जांच में पूरा सहयोग दिया है, उनके दावे को स्वीकार कर लिया गया है और समूह का औसत पाटन मार्जिन इस कंपनी नामतः सिओन्ल्ली बाईसाईकिल कंपेनर्नेट्स (टिआंजिन) कंपनी लिमिटिड को प्रदान किया जाना चाहिए ।"

(ङ) तदनुसार उन्होंने उपरोक्त तीन सामूहिक/संबंधित कंपनियों के लिए एकल पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध किया है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

32. निर्यातक ने सुनवाई के बाद अपने उत्तर को संपूरक किया है । उसका दर्ज किया गया है और उसकी जांच की गई है । जांच अवधि के दौरान याहूई केवल याबांग – क्यूएच को जो कि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करती है, मध्यवर्ती कच्चे माल की आपूर्ति ही कर रही थी । याहूई समूह में शामिल सभी कंपनियों के लिए शुल्क की एकल दर निर्धारित करने के अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी ने इंडोनेशिया से "सर्टेन पेपर" पर कोरिया के पाटन-रोधी शुल्कों की पेनल रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए निम्नलिखित बिन्दुओं को नोट किया है :-

(क) विश्व व्यापार संगठन के पाटन-रोधी अधिनियम का अनुच्छेद 6.0 और भारतीय पाटन-रोधी नियमावली का नियम 17 (3) में यह व्यवस्था है कि पाटन के पृथक विशिष्ट मार्जिन का निर्धारण, संबद्ध वस्तुओं के प्रत्येक ज्ञात निर्यातक अथवा उत्पादक के लिए किया जाना चाहिए ।

(ख) विश्व व्यापार संगठन की पेनल रिपोर्ट में जिन तथ्यों पर विश्वास किया गया है, वे पूर्णतया भिन्न हैं और ये वर्तमान जांच पर लागू नहीं होते हैं । पेनल रिपोर्ट का मुद्दा यह था कि क्या अनेक ऐसी संबंधित कंपनियों को एक एकल आर्थिक सत्व माना जा सकता है और क्या उन्हें पाटन का एकल मार्जिन प्रदान किया जा सकता है, जिन्होंने जांच के लिए विचाराधीन वस्तु का उत्पादन और निर्यात किया है । पैनल की रिपोर्ट ऐसी स्थिति पर लागू होती है जिसमें अनेक पारस्परिक संबंधित कंपनियां संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात करती हैं और ऐसी सभी कंपनियों को एक साथ मिलाकर उनके लिए पाटन मार्जिन की एकल दर का निर्धारण किया जाता है । यह ऐसी स्थिति में लागू नहीं होता है जिसमें कंपनी ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात नहीं किया है । निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किया गया यूरोपीय कमीशन का मामले ऐसे परिदृश्य से भी संबंधित है जिसमें किसी विशेष एकल कंपनी ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन तो किया है, लेकिन उनका निर्यात नहीं किया है ।

(ग) मौजूदा मामले में जांच अवधि के दौरान याहूई कंपनी ने याबांग – क्यूएच को मध्यवर्ती कच्चे माल की आपूर्ति की है जो कि संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करती है । इसलिए जब कोई कंपनी जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर रही होती है, तो उसे संबद्ध वस्तुओं की उत्पादक कंपनी नहीं माना जा सकता है । याहूई कंपनी ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन अथवा निर्यात नहीं किया है । इसके अतिरिक्त जांच अवधि के पश्चात संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन किया जाना कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि जांच अवधि के दौरान ही संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन किया जाना अनिवार्य है । जांच अवधि के दौरान प्रचलित तथ्यों के आधार पर ही जांच अवधि के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया जाता है ।

(घ) उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए याहूई के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण करना संभव नहीं है ।

33. मेसर्ज चांघझोऊ याबांग फार्माकेम कंपनी लिमिटिड (याबांग-- क्यूएच) चीन जनवादी गणराज्य ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में भारत में किए गए निर्यात के ब्यौरे दिए हैं । प्राधिकारी ने निर्यातक की प्रश्नावली के उनके उत्तर में किए गए दावे के अनुसार समायोजन किया है ताकि एक्स-फैक्ट्री स्तर पर निबल निर्यात कीमत का परिकलन किया जा सके । चूंकि निर्यात एफओबी के आधार पर किए गए थे, इसलिए कीमत का समायोजन, निर्यातक और उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर अंतरदेशीय भाडे, क्लीयरेंस प्रभारों, क्रेडिट लागत, बैंक प्रभारों और वॉट आदि को ध्यान में रख कर किया गया है । स्वीकार्य समायोजन करने के बाद प्राधिकारी का प्रस्ताव है कि भारित औसत निबल निर्यात कीमत का निर्धारण किया जाए, जैसा कि नीचे तालिका में पाटन मार्जिन में दिया गया है ।

34. चीन जनवादी गणराज्य के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत के मामले में यह प्रस्ताव है कि निर्यात कीमत का निर्धारण रिकार्ड में उपलब्ध श्रेष्ठ सूचना के आधार पर किया जाए । प्राधिकारी ने सहकारी निर्यातक की निम्नतम निर्यात कीमत पर विचार किया है और एक्स-फैक्ट्री स्तर पर निबल निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए अंतरदेशीय भाडे, क्लीयरेंस प्रभारों, क्रेडिट लागत, बैंक प्रभारों और वॉट आदि को ध्यान में

रख कर समायोजन किया है । तदनुसार यह प्रस्ताव है कि एक्स-फैक्ट्री स्तर पर निबल निर्यात कीमत का निर्धारण इस प्रकार से किया जाए जैसा कि नीचे तालिका के पाटन मार्जिन में दिया गया है ।

उत्पादक	निर्यातक	सामान्य मूल्य यूएस डालर/ कि.ग्रा.	निर्यात कीमत यूएस डालर/ कि.ग्रा	पाटन मार्जिन यूएस डालर/ कि.ग्रा	पाटन मार्जिन %	सीमा
चांघझोऊ याबांग फार्माकेम कंपनी लिमिटिड (याबांग--क्यूएच)	चांघझोऊ क्यू एच फार्मास्युटिकल और टेक्नालाजी कंपनी लिमिटिड (क्यूएचपीटी)	***	***	***	***	75-85
अन्य उत्पादक/निर्यातक	अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	75-85

छ. <u>क्षति और कारणात्मक संबध का निर्धारण</u>

<u>क्षति का निर्धारण</u>

<u>घरेलू उद्योग के निवेदन</u>

35. घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैं:-

(क) चीन जनवादी गणराज्य से भारत में पाटित आयातों की मात्रा में सचेतक दर से वृद्धि हुई है । घरेलू उत्पादन की तुलना में चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध उत्पाद के आयात जांच अवधि के दौरान 30% के स्तर पर पहुंच गए जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2010-11 में ये आयात 13 % थे ।

(ख) याचिकादाता अपनी घरेलू कीमतों को बढाने में सक्षम नहीं रहा है क्योंकि चीन से किए जाने वाले निर्यात काफी कम कीमत पर पर वस्तुओं की पेशकश कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप कीमत में काफी कटौती हो रही है तक कम कीमत पर बिक्री हो रही है ।

(ग) समस्त क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान चीन जनवादी गणराज्य द्वारा घरेलू उद्योग की कीमतों में पर्याप्त रूप से कटौती की जा रही है । ऐसी पर्याप्त कीमत कटौती होने के कारण घरेलू उद्योग बिक्रियों की बढी हुई लागत को वसूल करने में सक्षम नहीं हो पाया है ।

(घ) याचिकादाता चीनी निर्यातकों द्वारा अत्यधिक पाटन किए जाने के कारण अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता है । याचिकादाता की लगभग 32 प्रतिशत क्षमता अनप्रयुक्त बची रहती है । ऐसी अत्यधिक बची अनप्रयुक्त क्षमताओं से याचिकादाता को कठोर वित्तीय संकट का सामना करना पड रहा है ।

(ङ) चीनी आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत लागत का लगभग 50 प्रतिशत है जिसके कारण घरेलू उद्योग को विकट क्षति हो रही है ।

(च) घरेलू उद्योग अपनी घरेलू बिक्रियों की मात्रा को 25 प्रतिशत बढाने में ही सक्षम हुआ है जबकि घरेलू बाजार में मांग 40 प्रतिशत तक बढ गई है । मांग में ऐसी वृद्धि वर्ष 2010-11 में 422,297 कि. ग्रा. से बढ कर जांच अवधि के दौरान 573,164 कि. ग्रा. हो गई जो कि 145,867 किलोग्राम की वृद्धि दर्शाती है । उपरोक्त वृद्धि में से भारत में याचिकादाता केवल 69,137 किलोग्राम ही प्राप्त कर सका है ।

(छ) चीन के निर्यातकों द्वारा अत्यधिक पाटन के कारण जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में प्रचण्ड गिरावट आई है ।

(ज) वर्ष 2010-11 के दौरान याचिकादाता के बाजार का हिस्सा 61 % से घट कर जांच अवधि के दौरान 59 % रह गया तथा इसी अवधि में भारत में घरेलू उत्पादकों का शेयर/अंश 86 प्रतिशत से घट कर 71 प्रतिशत हो गया ।

(झ) जांच अवधि के दौरान चीन के निर्यातकों द्वारा गहन पाटन किए जाने के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में प्रचंड गिरावट आई है । क्षति का विश्लेषण किए जाने की अवधि और जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को हुए घाटों में वृद्धि हुई है ।

(ञ) घरेलू उद्योग द्वारा किए गए लागत कटौती के प्रयासों के कारण घाटों में कुछ हद तक कमी आई थी, लेकिन ये लाभ अर्जित करने से अभी भी काफी दूर है, 22 % आरओसी की तो बात ही छोड दो ।

(ट) निर्यातक तात्कालिक पूर्ववर्ती वर्ष से जांच अवधि के दौरान बाजार के हिस्से की तुलना कर रहे हैं । इस प्रकार की तुलना त्रुटिपूर्ण और तर्कसंगत नहीं है ।

(ठ) हालांकि क्षति अवधि के दौरान आयात की कीमतों में वृद्धि हुई है, लेकिन ये अभी भी याचिकादाता के घरेलू बिक्री कीमतों से 30 – 40 % तक कम हैं ।

(ड) आयातित वस्तुओं के पहुंच मूल्य और याचिकादाता की लागत के बीच विशेष अंतर होने के कारण याचिकादाता को क्षति अविध और जांच अवधि के दौरान घाटे हो रहे हैं ।

(ढ) निर्यातक मूल्यह्रास, ब्याज और वेतन में पूर्णतया बढोत्तरी दर्शा रहे हैं, लेकिन यह प्रति यूनिट मूल्यह्रास, ब्याज और वेतन की लागत नहीं है । यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी पूर्ण संख्या को, प्रति यूनिट की लागत में परिवर्तित कर देते हैं तो इनके खर्चों से मामूली वृद्धि होने का पता चलेगा । इसी प्रकार यदि प्रति यूनिट नियोजित पूंजी का परिकलन करें तो इससे यह पता चलेगा कि नियोजित पूंजी में मामूली वृद्धि हुई है ।

(ण) निर्यातक यह स्पष्ट करने में विफल रहे हैं कि चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमतें विशेष रूप से इतनी कम क्यों हैं ।

<u>निर्यातक के निवेदन</u>

36. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

(क) घरेलू उद्योग को मात्रा की कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि क्षति की जांच अवधि के दौरान उत्पादन की मात्रा, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्रियों का मूल्य, बाजार हिस्से, माल सूची, कर्मचारियों की संख्या और वेतन में विशेष रूप से बढोत्तरी हुई है ।

(ख) कीमत में भी कोई क्षति नहीं हुई है, क्योंकि क्षति की जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयात की कीमतों में 55 % की वृद्धि हुई है जबकि इसी अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों में 21 % की वृद्धि हुई है । इसके अतिरिक्त मौजूदा मामले घरेलू कीमतों में कोई कीमत ह्रास और न्यूनीकरण नहीं हुआ है । यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग को अन्य कारकों से नुकसान हो रहा है, लेकिन यह नुकसान चीन से कथित पाटित आयात से नहीं हो रहा है क्योंकि विगत 5-6 वर्ष के लिए उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐतिहासिक रूप से घरेलू उद्योग को ऐसा नुकसान हो रहा है ।

(ग) घरेलू उद्योग ने बताया है कि कच्चे माल की लागत में वृद्धि होने के फलस्वरूप उनकी लागत बढने के कारण जांच अवधि में उनको घाटे हुए हैं । तथापि, उन्होंने कच्चे माल की लागत में वृद्धि होने के विवरण प्रस्तुत नहीं किए हैं और केवल उनका उल्लेख मात्र किया है । प्रपत्र-4-क में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए ब्यौरों की बारीकी से जांच करने से ऐसा पता चलता है कि क्षति की जांच अवधि के दौरान मूल्यह्रास में 118 %, ब्याज लागत में 91 % और वेतन में 139 % की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ।

(घ) यह भी देखा जा सकता है कि क्षति की जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित पूंजी में 34% की वृद्धि हुई है । लेकिन घरेलू उद्योग की संबद्ध वस्तुओं की क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है । निबल अचल परिसम्पतियों/नियोजित पूंजी में ऐसी उल्लेखनीय वृद्धि होने के परिणामी प्रभाव के फलस्वरूप क्षति की जांच अवधि के दौरान मूल्यह्रास लागत में 118 % और ब्याज लागत में 91 % की वृद्धि हुई है । क्षति की जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग नियोजित कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है और ऐसी वृद्धि होने के फलस्वरूप वेतन में वृद्धि हुई है और क्षति की जांच अवधि के दौरान ऐसी वृद्धि 139 % तक हुई है ।

(ङ) आम सुनवाई के दौरान घरेलू उद्योग ने यह भी स्वीकार किया है कि क्षति की जांच अवधि के दौरान उसकी कुल लागत में वृद्धि 10 -15 % तक हुई है और इसमें से 7- 8 % की वृद्धि ब्याज की लागत में वृद्धि होने के कारण हुई है । इस प्रकार घरेलू उद्योग की लागत में शेष वृद्धि, मूल्यह्रास लागत और वेतन में वृद्धि होने के कारण हुई है। इसलिए घरेलू उद्योग के ऐसे निवेदनों का कोई महत्व नहीं है कि उसकी लागत में वृद्धि कच्चे माल की लागत में वृद्धि होने के कारण हुई है । घरेलू उद्योग यह भी निवदेन कर सकता है कि उक्त लागत कारकों - जैसे कि मूल्यह्रास, ब्याज और वेतन में वृद्धि, उसकी बिक्रियों में वृद्धि होने के कारण हुई है । इसलिए ऐसा देखा जा सकता है कि हमने घरेलू बिक्रियों में हुई वृद्धि की भी जांच की है और यह पाया है कि क्षति की जांच अवधि के दौरान ही उसमें 15 % की वृद्धि हुई है । तथापि, उक्त लागत कारकों में वृद्धि काफी अधिक है और यह 91 % से 139 % के बीच है ।

(च) इस प्रकार घरेलू उद्योग की लागत में वृद्धि, उसके अपने व्यवसायिक निर्णयों के फलस्वरूप हुई है, लेकिन ऐसा चीन से कथित पाटन के कारण नहीं हुआ है । इसलिए घरेलू उद्योग का यह दावा कि उसे चीन से पाटन के कारण नुकसान हुआ है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अंतर्गत यथोचित नहीं है । बल्कि यह मामला घरेलू उद्योग द्वारा स्वयं को क्षति पहुंचाने का है और संबद्ध देश से आयातों का घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पडा है ।

<u>प्राधिकारी द्वारा मुद्दों की जांच</u>

37. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को नोट कर लिया है । प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच की है और ऐसा करते समय उसने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को ध्यान में रखा है ।

38. नियमावली में ऐसी अपेक्षा की जाती है कि प्राधिकारी मात्रा और कीमत के प्रभाव दोनों की जांच करके क्षति की जांच करेंगे । क्षति का निर्धारण करने की प्रक्रिया में दोनों तथ्यों की लक्ष्य परक जांच करना निहित है, यथा (क) पाटित आयातों की मात्रा और घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव तथा (ख) घरेलू उद्योग पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव । पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है कि क्या निश्चित रूप से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत की दृष्टि से पाटित आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को इस पर विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से उल्लेखनीय कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का अन्यथा प्रभाव पडा है जिसके कारण कीमतों में विशेष सीमा तक ह्रास हुआ है अथवा इनसे कीमतों में वृद्धि होने में रूकावट आई है, जो कि अन्यथा विशेष सीमा तक होती ।

39. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध - II के पैरा (IV) में किया गया उल्लेख निम्नानुसार है:-

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा ।"

40. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों और निवेदनों को ध्यान में रख कर क्षति के प्राचलों की उद्देश्यपूर्ण ढंग से जांच की है ।

(क). <u>मांग का मूल्यांकन</u>

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 जांच अवधि
संबद्ध देश (चीन) से आयात	कि.ग्राम	88,253	145,654	237,850	176,725
प्रवृत्ति		100	165	270	200

गैर-पाटित आयात (अन्य देश)	कि.ग्राम	-	2	5	69
प्रवृत्ति		-	100	-	3,450
कुल आयात	कि.ग्राम	88,253	145,656	237,855	176,794
प्रवृत्ति		100	165	270	200
याचिकादाता की कुल घरेलू बिक्रियां	कि.ग्राम	277,371	290,080	282,087	346,508
प्रवृत्ति		100	105	102	125
बिक्रियां – समर्थक	कि.ग्राम	89,251	20,414	122,192	65,403
याचिकादाता का घरेलू उत्पादन	कि.ग्राम	385,734	373,821	405,218	465,092
उत्पादन – समर्थक	कि.ग्राम	99,003	23,796	133,192	64,256
कुल घरेलू उत्पादन		**484,737**	**397,617**	**538,410**	**529,348**
घरेलू उत्पादन की तुलना में चीन से आयात	%	18	37	44	33
मांग		**454,875**	**456,150**	**642,134**	**588,705**
खपत की तुलना में चीन से आयात	%	19	32	37	30

41. जांच अवधि के दौरान मांग में वृद्धि हुई जो कि वर्ष 2010 -11 में 454.875 किलो ग्राम से बढ कर जांच अवधि के दौरान 588.705 किलो ग्राम हो गई जो कि 133,830 किलो ग्राम की वृद्धि दर्शाती है । तथापि, घरेलू उत्पादक की बिक्री में मामूली वृद्धि हुई है, जो कि 2010 -11 में 277.31 किलो ग्राम से बढ कर जांच अवधि के दौरान 346.508 किलो ग्राम हो गई । चीन जनवादी गणराज्य से आयात दुगुने हो गए हैं, जो कि 2010 -11 में 88,253 किलो ग्राम से बढ कर जांच अवधि के दौरान 176.725 किलो ग्राम हो गए । घरेलू खपत के अपेक्षाकृत चीन जनवादी गणराज्य से आयात वर्ष 2010-11 में 18 प्रतिशत से बढ कर जांच अवधि में 33 प्रतिशत हो गए । इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में चीन से आयात सुनिश्चित रूप से बढे हैं ।

(ख). <u>कीमत के प्रभाव</u>

42. जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, नियमावली के अनुबंध-II (ii) में निम्नानुसार निर्धारित है :

"जहां तक नियम 18 के उप नियम (2) में किए गए उल्लेखानुसार कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना मे पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमत में होने वाली वृद्धि में अन्यथा काफी अधिक ह्रास हुआ है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती । "

43. इसकी जांच की गई है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से उल्लेखनीय कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का अन्यथा प्रभाव पडा है जिसके कारण कीमतों में विशेष सीमा तक ह्रास हुआ है अथवा इनसे कीमतों में वृद्धि होने में रूकावट आई है, जो कि अन्यथा विशेष सीमा तक होती। घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच, कीमत में कटौती होने, कम कीमत पर बिक्री होने, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हुआ है, के प्रसंग में की गई है ।

(ग). <u>कीमत कटौती</u>

44. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, प्राधिकारी ने आयातों क पहुंच कीमत की तुलना, घरेलू उद्योग की निबल बिक्री वसूली से की है । इस संबंध में समान स्तर के व्यापार के लिए उत्पाद के पहुंच मूल्य की तुलना, घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत से की है जिसके लिए उसकी समस्त छूट और करों पर विचार किया गया है । घरेलू उद्योग की कीमतों का निर्धारण एक्स-फैक्टरी स्तर पर किया गया है । ऐसी तुलना से यह पता चलता है कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश के मूल की संबद्ध वस्तुओं का आयात भारतीय बाजार में उन कीमतों पर किया गया है जो कि घरेलू उद्योग की बिक्री की कीमतों से कम हैं । इस प्रकार यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं के आयात घरेलू कीमतों में कटौती कर रहे थे ।

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 जांच अवधि
घरेलू बिक्री की वसूली (रूपए प्रति कि.ग्राम)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	102	121	121
पहुंच मूल्य	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	120	161	167
कीमत में कटौती	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	81	73	65
कीमत में कटौती का %	81	55	37	32
कीमत में कटौती सीमा %	75-85	50-60	30-40	30-40

45. इस प्रकार उपरोक्त तालिका से यह नोट किया गया है कि:-

(क) समस्त क्षति की जांच अवधि और जांच अवधि के दौरान चीन जनवादी गणराज्य द्वारा घरेलू उद्योग की कीमतों की तुलना में पर्याप्त रूप से कीमतों में कटौती की गई है ।

(ख) कीमत में पर्याप्त रूप से कटौती होने के कारण घरेलू उद्योग अपनी बिक्रियों की बढती लागत को वसूल करने के लिए अपनी कीमत में वृद्धि नहीं कर पाया है ।

<u>घ. कम कीमत पर बिक्री</u>

46. प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य से पाटित आयातों के कारण कम कीमत पर बिक्री किए जाने की भी जांच की है । इस प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित एनआईपी की तुलना, आयातों की पहुंच मूल्य से की गई है । घरेलू उद्योग की एनआईपी की तुलना आयातों के भारित औसत पहुंच मूल्य से करने से निम्नानुसार पता चला है:-

विवरण	यू.ओ.एम.	जांच अवधि
गैर-क्षति कीमत	रूपए/कि.ग्रा.	***
पहुंच मूल्य	रूपए/कि.ग्रा.	***
कम कीमत पर बिक्री	रूपए/कि.ग्रा.	***
कीमत में कटौती	%	***
कम कीमत पर बिक्री	% सीमा	55-65

47. यह देखा गया है कि चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं की पहुंच मूल्य, घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित की गई एनआईपी की तुलना में अत्यधिक कम थी ।

(ग). <u>कीमत में ह्रास/न्यूनीकरण</u>

48. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या ऐसे आयातोंका प्रभाव कुछ विशेष सीमता तक कीमतों का ह्रास करना अथवा कीमत में वृद्धि को रोकना है जो कि अन्यथा विशेष सीमा तक होती, प्राधिकारी ने क्षति की अवधि में लागतों और कीमतों में हुए परिवर्तन की जांच की है । इसकी स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई है:-

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (जांच अवधि)
पहुंच मूल्य	***	***	***	***
निर्माण और बिक्री करने की लागत (रूपए./कि.ग्रा.)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	92	119	123
घरेलू बिक्री कीमत (रूपए./कि.ग्रा.)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	102	121	121

49. निम्नोक्त बिन्दुओं को नोट किया गया है:-

(क) संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत में 23 सूचीबद्ध बिन्दुओं तक की वृद्धि हुई है जबकि इसी अवधि के दौरान बिक्री की कीमत में 21 बिन्दुओं तक की वृद्धि हुई है ।

(ख) चीन के निर्यातकों का पहुंच मूल्य, घरेलू उत्पादन की लागत का लगभग 50 % है जो कि घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाता है ।

(ग) घरेलू उद्योग, चीन के निर्यातकों द्वारा पेश की जा रहीं कम कीमतों के कारण गंभीर कीमत ह्रास का सामना कर रहा है । घरेलू उद्योग अपनी घरेलू बिक्री वसूलियों को नहीं बढा पाया है और इसके परिणाम स्वरूप अपनी लागत वसूल करने में असमर्थ है। चीन जनवादी गणराज्य से निरंतर कीमत ह्रास हो रहा है ।

<u>घरेलू उद्योग के अन्य आर्थिक प्राचल</u>

50. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध – II में ऐसा अपेक्षित है कि क्षति का निर्धारण करने की प्रक्रिया में समान उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव की लक्ष्यपरक जांच करना निहित है । नियमावली में आगे यह भी व्यवस्था निहित है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में ऐसे सभी संबद्ध आर्थिक कारकों और सूचकों का लक्ष्य परक और निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाना निहित है जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पडता है । इनमें बिक्रियों, आउटपुट, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट आना, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह, माल सूचियां, निवेश, वेतन, विकास, पूंजीगत निवेश जुटाने पर संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं । घरेलू उद्योग से संबंधित क्षति के विभिन्न प्राचलों का उल्लेख नीचे किया गया है ।

(1) <u>क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियां</u>:-

51. उत्पादन, घरेलू बिक्रियों, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन की जांच की गई है और उसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (जांच अवधि)
क्षमता	684,000	684,000	684,000	684,000
सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन	385,734	373,821	405,218	465,092
सूचीबद्ध	100	97	105	121
क्षमता उपयोग (%)	56	55	59	68
सूचीबद्ध	100	97	105	121
घरेलू बिक्रियां	277,371	290,080	282,087	346,508

सूचीबद्ध	100	105	102	125
निर्यात बिक्रियां	91,707	88,893	106,787	111,176
सूचीबद्ध	100	97	116	121
मांग	454,875	457,484	642,129	588,664
सूचीबद्ध मांग	100	101	141	129

52. उपरोक्त तालिका से ऐसा देखा जा सकता है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है । पाटित आयातों के निरंतर दबाव के कारण घरेलू उद्योग बिक्रियों की लागत को वसूल करने के लिए अपनी कीमतों को बढाने में असमर्थ रहा है और किसी तरह उसने 68 % क्षमता उपयोग प्राप्त किया है । शेष 32 % क्षमता अनप्रयुक्त बची हुई है । यदि घरेलू उद्योग की कीमतें, चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातकों द्वारा पेश की जा रही कीमतों के समान नहीं रहती तो स्थिति और भी विकट हो जाती ।

53. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है जिससे भारतीय बाजार की समस्त मांग को संतोषजनक ढंग से पूरा किया जा सकता है । तथापि, याचिकादाता, चीन के निर्यातकों से गहन पाटन किए जाने के कारण अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता है । याचिकादाता की लगभग 32 % क्षमता अनप्रयुक्त बची हुई है ।

(2) <u>बाजार का हिस्सा</u>

बाजार का हिस्सा	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (जांच अवधि)
याचिकादाता की घरेलू बिक्रियां (किलोग्राम)	277,371	290,080	282,087	346,508
सूचीबद्ध	100	105	102	125
अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	89,251	20,414	122,192	65,403
सूचीबद्ध	100	23	137	73
याचिकादाता (घरेलू उद्योग) का हिस्सा %	61%	64%	44%	59%
प्रवृत्ति	100	104	72	97
अन्य उत्पादकों का हिस्सा %	20%	4%	19%	11%
प्रवृत्ति	100	23	97	57
चीन जनवादी गणराज्य का हिस्सा %	19%	32%	37%	30%
प्रवृत्ति	100	165	191	155
अन्य देशों का हिस्सा %	0.000%	0.000%	0.001%	0.012%

54. उपरोक्त तालिका से निम्नोक्त बिन्दुओं को नोट किया गया है:-

(क) वर्ष 2010-11 के दौरान याचिकादाता के बाजार का हिस्सा 61 % से घट कर जांच अवधि के दौरान 59 % रह गया और भारत में घरेलू उत्पादकों का हिस्सा इसी अवधि के दौरान 20 % से घट कर 11 % रह गया है ।

(ख) इसी समय चीन जनवादी गणराज्य से आयातों का हिस्सा 19 % से बढ कर 30 % हो गया । बाजार के हिस्से में होने वाली इस गिरावट को रोकने के लिए घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों को सुसंगत बनाने के लिए निर्यातकों द्वारा पेश की जा रही कीमतों के बराबर रखना पडता है ।

(3) <u>लाभप्रदता</u>

55. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं पर अर्जित किए गए लाभ को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (जांच अवधि)
लाभ/हानि (लाख रूपए)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	(100)	(56)	(114)	(162)
लाभ/हानि (रूपए प्रति किलोग्राम)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	(100)	(54)	(112)	(130)

56. प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया गया है कि जांच अवधि के दौरान चीन के निर्यातकों द्वारा गहन पाटन किए जाने के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में प्रचंड गिरावट आई है । क्षति का विश्लेषण किए जाने की अवधि और जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को हुए घाटों में वृद्धि हुई है । वर्ष 2010-11 में सूचीबद्ध 100 यूनिटों के कुल घाटे हुए थे जो की बढ कर जांच अवधि में सूचीबद्ध 162 यूनिट हो गए हैं ।

57. घरेलू उद्योग को हुए घाटों का मुख्य कारण चीन के निर्यातकों का पहुंच मूल्य है, जो कि घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत का लगभग 50 % है ।

(4) <u>नकदी प्रवाह</u>

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (जांच अवधि)
नकद लाभ (लाख रूपए)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	(100)	(46)	(107)	(155)
नकद लाभ (रूपए प्रति किलोग्राम)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	(100)	(44)	(105)	(124)

58. यह नोट किया गया है कि नकदी घाटों में समस्त क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है । चीन जनवादी गणराज्य से अत्यधिक पाटन होने के कारण वर्ष 2011-12 की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के नकदी घाटों में तेजी से वृद्धि हुई है । इसके अतिरिक्त यदि पाटन आगे और गहन होता जाता है तो नकरात्मक नकदी प्रवाह में और वृद्धि होगी तथा ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योग अपने ऋणों की प्रतिपूर्ति करने में सक्षम नहीं हो सकेगा ।

(5) <u>नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ और निवेश बढाने की क्षमता</u>

59. लाभ और नकदी लाभ की प्रवृति की ही तरह नियोजित पूंजी के प्रतिलाभ की स्थिति भी वैसी ही है । विगत वर्षों की तुलना में जांच अवधि के दौरान आरओसीई में उल्लेखनीय गिरावट आई है ।

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (जांच अवधि)
नियोजित पूंजी (लाख रूपए)(घरेलू)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	126	115	135
नियोजित पूंजी (%) (घरेलू)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	120	162	159
नियोजित पूंजी (रूपए प्रति किलोग्राम) (घरेलू)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	121	113	108

60. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को चीन के निर्यातकों द्वारा पेश की गई कीमतों के बराबर बनाए रखने में असमर्थ रहा है । घरेलू उद्योग द्वारा किए गए लागत कटौती के प्रयासों के कारण घाटें कुछ सीमा तक कम हुए हैं, लेकिन यह लाभ अर्जित करने से काफी दूर बने हुए हैं ।

(6) <u>माल सूचियां</u>

मालसूची	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (जांच अवधि)
मालसूची (किलोग्राम में)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	111	188	227

61. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग लाभप्रद कीमतों पर अपने उत्पादन को निपटाने में असमर्थ रहा है और इसके परिणाम स्वरूप जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची में बढोत्तरी हुई है ।

(7) वृद्धि

62. घरेलू उद्योग ने विगत तीन वर्षों के दौरान मांग में हुई वृद्धि की तुलना में मात्रा के रूप में नकारात्मक वृद्धि और मौद्रिक रूप में उल्लेखनीय नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है ।

(8) <u>पूंजीगत निवेश बढाने की क्षमता</u>

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में उत्पाद की मौजूदा मांग को देखते हुए घरेलू उद्योग ने संयंत्रों और मशीनों में निवेश किया है । तथापि, घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में काफी गिरावट आई है तथा इनमें आगे निवेश करने के प्रतिकूल प्रभाव पड सकते हैं ।

(9) <u>घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक</u>

64. जैसा कि इस विवरण में किसी अन्य स्थल पर बताया गया है, घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएं आयातित वस्तुओं के समनुरूप हैं । उद्योग द्वारा के पास भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है और इसलिए सामग्री की उपलब्धता कोई अडचन नहीं है । वितरण की भी कोइ समस्या नहीं है । इस प्रकार हालांकि बाजार की दशाएं घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध उत्पाद के लिए उसके पक्ष में अनुकूल हैं, लेकिन फिर भी घरेलू उद्योग अपनी अनुकूलतम क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है । ऐसी स्थिति तभी उत्पन्न हुई है जब कि देश में पाटित आयात काफी कम कीमत में प्रवेश कर रहा है । अनेक भारतीय ग्राहक उन्हीं कीमतों को बताते हैं जिन पर आयातित संबद्ध वस्तुएं देश में आती हैं और घरेलू उद्योग से अपनी कीमतें आयातित कीमतों के समान रखने के लिए कहते हैं । घरेलू उद्योग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले कारक, आयातों की मात्रा के साथ-साथ ऐसी कीमतें हैं, जिन पर आयातित वस्तुएं देश में प्रवेश करती हैं ।

(10) <u>पाटन की मात्रा और मार्जिन</u>

65. चीन जनवादी गणराज्य से भारत में आ रहे आयात, पाटन मार्जिन के निम्नतम स्तर से बहुत अधिक हैं । चीन जनवादी गणराज्य से पाटन मार्जिन बहुत अधिक है । पाटन मार्जिन की मात्रा के इतना अधिक होने के कारण पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को सामग्री संबंधी क्षति पहुंचाई है । घरेलू उद्योग को आशंका है कि वर्तमान स्थिति अत्यधिक खतरनाक है और यदि आयात वर्तमान पाटन मार्जिन के स्तर पर देश में निरंतर प्रवेश करते रहते हैं तो ऐसी संभावना है कि इनसे घरेलू उद्योग को अत्यधिक क्षति होती रहेगी ।

(11) <u>क्षति का निष्कर्ष</u>

66. उपरोक्त के आधार पर प्राधिकारी का प्रस्तावित निष्कर्ष यह है कि चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयात निश्चित रूप से तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और खपत की अपेक्षाकृत बढे हैं । उत्पाद के आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है । इसके अतिरिक्त जबकि क्षति अवधि के दौरान उत्पादन की लागत में वृद्धि हो रही थी और फिर भी बिक्री की कीमतें इतनी अधिक नहीं थी कि बिक्रियों की लागत को वसूल किया जा सके । इस प्रकार आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को ह्रास कर रहे थे और कीमतों में वृद्धि होने को रोक रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि यदि पाटित आयात नहीं होते तो कीमतों में वृद्धि हो सकती थी । घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में ऐसा देखा गया है कि घरेलू बाजार ने बाजार का हिस्सा गंवा दिया है और इसके फलस्वरूप उसके कार्य-निष्पादन के अन्य कारक प्रभावित हुए हैं ।

67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को मात्रा (बाजार के हिस्से) के साथ-साथ पाटित आयातों के कीमत पर पडने वाले प्रभाव के कारण क्षति हुई है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है । लाभप्रदता में गिरावट आने की यही प्रवृति, नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ और नकद लाभ में भी बनी हुई है। जांच अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ और नकद लाभ नकारात्मक बने रहे हैं । इस प्रकार अधिकतर प्राचलों जैसे कि लाभ, नकद लाभ, नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ, प्रतिलाभ, बाजार के हिस्से और माल सूची के संबंध में वृद्धि होने से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पडने का पता चलता है ।

(ज). <u>क्षति और अन्य कारणात्मक संपर्क की जांच</u>

<u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

68. घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैं:-

(क) संबद्ध देश से आयात अत्यधिक बढ रहे हैं जो कि वर्ष 2010-11 में 60675 किलोग्राम से से बढ कर वर्ष 2011-12 में 161225 किलोग्राम हो गए । संबद्ध वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि हुई है जो कि वर्ष 2010-11 में 422,297 किलोग्राम से से बढ कर जांच अवधि में 573,164 किलोग्राम हो गई जो कि 145,867 किलोग्राम की वृद्धि दर्शाती है । उपरोक्त वृद्धि में से भारत में याचिकादाता केवल 69,137 किलोग्राम ही प्राप्त कर सका है । अन्य देश से आयात, कुल आयातों के 1% से भी कम हैं । चीन जनवादी गणराज्य से आयात, याचिकादाता की कीमतों में काफी कटौती कर रहे हैं ।

(ख) क्षति की जांच अवधि के दौरान (आईबीआईएस के आंकडों के आधार पर) ऐसे आयातों में तिगुनी वृद्धि हुई है । इसके अतिरिक्त जांच पश्चात अवधि में संबद्ध वस्तुओं के आयातों में और वृद्धि हुई है ।

(ग) वर्ष 2011-12 की तुलना में जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में 40% तक की वृद्धि हुई है। बाजार में मांग में वृद्धि, चीन जनवादी गणराज्य से आयातों ने हथिया ली है और घरेलू बाजार के हिस्से में गिरावट आई है।

(घ) प्राधिकारी को तात्कालिक पूर्ववर्ती वर्ष की स्थिति से तुलना करने की बजाए समग्र क्षति अवधि का विश्लेषण करना चाहिए ।

<u>हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

69. हितबद्ध पक्षकारों के विचार निम्नानुसार हैं:-

(क) मौजूदा जांच में कथित पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को उनसे हुई क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है क्योंकि घरेलू कीमतों और आयात कीमतों के बीच कोई संबंध नहीं है तथा दोनों ही विभिन्न दिशाओं में गतिशील हैं, जिससे पता चलता है कि आयात कीमतों का घरेलू कीमतों पर कोई भार नहीं है ।

(ख) यह देखा जा सकता है कि विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्रियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान आयातों में 34 % तक की गिरावट आई है, जिससे यह तथ्य की स्पष्ट पुष्टि हो जाती है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण चीन जनवादी गणराज्य से कथित पाटित आयात नहीं है ।

(ग) घरेलू उद्योग की निबल अचल परिसम्पतियों/ नियोजित पूंजी में हुई वृद्धि के कारण कीमत ह्रास, ब्याज और श्रम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । इस प्रकार घरेलू उद्योग को हुए घाटे का कारण उसके अपनी निजी क्षति पहुंचाने वाले निर्णय हैं लेकिन ऐसा कथित पाटित आयात के कारण नहीं हुआ है ।

(घ) यह देखा जा सकता है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता में गिरावट आई है और यह घरेलू उद्योग की लागत में वृद्धि होने का एक और कारण है । इस प्रकार घरेलू उद्योग की उत्पादकता में गिरावट से इस तथ्य की भी पुष्टि होती है कि घरेलू उद्योगको हुई क्षति का कारण चीन जनवादी गणराज्य से कथित आयातों को होना नहीं है ।

(ङ) यह भी देखा जा सकता है कि जांच अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो कि तात्कालित विगत वर्ष की तुलना में 12 % तक थी । यह निवेदन किया जाता है कि मांग में गिरावट आई है, लेकिन इसका कारण चीन जनवादी गणराज्य से कथित आयात का होना और घरेलू बाजार को हुई सामग्री संबंधी क्षति नहीं है ।

<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

70. प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या पाटन-रोधी नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है । पाटन और घरेलू उद्योग को उससे हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध होने की जांच निम्नानुसार की गई है:--

(क). तृतीय देश से आयात

71. संबद्ध देशे से भिन्न देश से किए गए आयात की मात्रा इतनी अधिक नहीं है कि इनसे घरेलू उद्योग को कोई खतरा उत्पन्न हो अथवा क्षति की कोई चेतावनी हो ।

(ख). मांग में संकुचन

72. निर्यातक ने बताया है कि तात्कालिक परवर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन/बिक्रियों की मांग में गिरावट आई है अथवा बढोत्तरी हुई है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न कारकों के किए गए विश्लेषण से ऐसा पता चला है कि क्षति की जांच अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है । आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । वर्ष 2011-12 के दौरान मांग में गिरावट आई थी लेकिन बाद में इसमें सुधार हुआ है । इसलिए मांग में संभावित संकुचन घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं है ।

(ग). व्यापारिक प्रतिबंधित प्रक्रियाएं तथा विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्द्धा

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी कोई वयापारिक प्रतिबंधित प्रक्रिया नहीं है जिसने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई हो ।

(घ). खपत की पद्धति में परिवर्तन

74. घरेलू उद्योग उसी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, जिनका आयात भारत में हुआ है । खपत के पेटर्न में संभावित परिवर्तन ऐसे कारक नहीं है, जिनके कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति हुई हो ।

(ड). निर्यात-निष्पादन

75. घरेलू उद्योग को हुई क्षति, घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में संभावित उल्लेखनीय गिरावट आने के कारण नहीं है । वास्तव में घरेलू उद्योग के निर्यातों से सामग्री संबंधी गिरावट नहीं आई है । तथापि, प्राधिकारी ने जहां कहीं भी संभव हुआ है वहां घरेलू कार्य-निष्पादन पर विचार किया है ।

(च). अन्य उत्पादकों के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन

76. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित और बिक्री किए जा रहे अन्य उत्पादों के निष्पादन से घरेलू उद्योग के कार्य-निषादन के लिए प्राधिकारी द्वारा किया गया मूल्यांकन प्रभावित नहीं हुआ है । प्राधिकारी ने जिस सूचना पर विचार किया है, वह केवल विचाराधीन उत्पाद से ही संबंधित है ।

(छ). घरेलू उद्योग की उत्पादकता

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में भी वही प्रवृति अपनाई है और इसलिए घरेलू उद्योग को हुई क्षति का मुख्या कारण उत्पादकता में गिरावट आना नहीं है ।

(ज). घरेलू कारणात्मक संबंध स्थापित करने के कारक

78. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन के विश्लेषण से पता चलता है कि चीन जनवादी गणराज्य से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन में वस्तुगत गिरावट आई है । घरेलू उद्योग को हुई क्षति और पाटित आयातों के बीच निम्नलिखित आधार पर कारणात्मक संबंध होने की संपुष्टि होती है :-

(क) आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है ।

(ख) चीन जनवादी गणराज्य से आयातों की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(ग) ग्राहकों ने कीमतों में अत्यधिक अंतर होने के कारण अपनी अधिकतर आवश्यकताओं को चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातकों की ओर उन्मुख कर दिया है । इस प्रकार कीमत में कटौती होने के फलस्वरूप आयातों के बाजार के हिस्सों में उल्लेखानीय वृद्धि हुई है तथा घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है ।

(घ) देश में पाटित आयातों की उपस्थिति, घरेलू उद्योग को लागतों में हुई वृद्धि के समानुपात में अपनी कीमतों में वृद्धि किए जाने से रोक रही है ।

(ड) संबद्ध वस्तुएं घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए उत्पाद से कम कीमत पर बेची जा रही हैं ।

(च) पाटित आयातों के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप ही लाभ, नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ और नकद लाभ में गिरावट आई है ।

(छ) क्षति अवधि के दौरान पाटित आयातों के बाजार के हिस्से में वृद्धि हुई है ।

(ज) कीमतों में उल्लेखनीय कटौती होने और कम कीमतों पर बेचे जाने के परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वृद्धि नहीं हुई है ।

(झ) कीमत से संबंधित आर्थिक प्राचलों की संख्या के रूप में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक बन गई है ।

79. उपरोक्त तथ्यों से पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध होने का स्पष्ट पता चलता है । प्राधिकारी का प्रस्तावित निष्कर्ष यह है कि चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को सामग्री संबंधी क्षति हुई है ।

(ञ). <u>क्षति की मात्रा और क्षति का मार्जिन</u>

80. प्राधिकारी ने नियमावली में निर्धारित नियमों में यथा संशोधित आधार पर घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षति कीमत का निर्धारण किया है । इस प्रकार से निर्धारित की गई गैर-क्षति कीमत की तुलना चीन जनवादी गणराज्य से आयातों की पहुंच कीमतों से की गई है । चीन जनवादी गणराज्य से सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए प्रस्तावित क्षति मार्जिन का निर्धारण, उपलब्ध श्रेष्ठ तथ्यों के आधार पर किया गया है।

क्षति की मात्रा

क्रम संख्या	उत्पादक	निर्यातक	गैर-क्षति कीमत अमरीकी डालर/रूपए	पहुंच मूल्य अमरीकी डालर/रूपए	क्षति का मार्जिन अमरीकी डालर/रूपए	क्षति का मार्जिन %	क्षति का मार्जिन की सीमा - %
1	चांघझोऊ फार्माकेम कंपनी लिमिटिड (याबांग क्यूएच)	चांघझोऊ क्यू एच फार्मास्युटिकल और टेक्नालाजी कंपनी लिमिटिड (क्यूएचपीटी)	***	***	***	***	44-55
2	चीन जनवादी गणराज्य से अन्य कोई	चीन जनवादी गणराज्य से अन्य कोई	***	***	***	***	50-60

<u>प्रकटन पश्चात विवरण/निवेदन</u>

81. किए गए निवेदन और उठाए गए बिन्दु वही हैं, जो कि पहले उठाए गए हैं और जिनका इस निष्कर्ष में ऊपर उल्लेख और निपटान किया गया है । तथापि, उनका संक्षिप्त विवरण नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है :

<u>प्रकटन पश्चात विवरण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन</u>

(क) यावांग – क्यू एच और क्यूएचपीटी द्वारा प्रस्तुत उत्तर को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए और यावांग – क्यू एच और क्यूएचपीटी, याहूई और क्यूएचपी के लिए कोई विशिष्ट पृथक दर निर्धारित नहीं की जानी चाहिए । याहूई और क्यूएचपीटी ने संबद्ध जांच में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर अपनी विशेष पृथक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं । क्यूएचपीटी ने जांच की समाप्ति के समय अपना उत्तर प्रस्तुत किया है और इसमें इतना विलंब किए जाने पर, निर्यातकों के उत्तर पर सार्थक टिप्पणियां देने का घरेलू उद्योग का अधिकार घट गया है । इसलिए क्यूएचपीटी के उत्तर को जांच के इस चरण में स्वीकार नहीं किया जा सकता है । इसलिए उपरोक्त तथ्य और पूर्व उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए क्यूएचपीटी द्वारा अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए । वर्तमान जांच में याहूई और क्यूएचपीटी दोनों को ही असहयोगी माना जाना चाहिए ।

(ख) क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन यह दर्शाता है कि चीन जनवादी गणराज्य से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में अधिक मात्रा में गिरावट आई है । घरेलू उद्योग को विभिन्न प्रकार की क्षति हुई है जो निम्नानुसार है :

(1) आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं ।

(2) चीन जनवादी गणराज्य से आयातों की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ।

(3) ग्राहकों ने कीमतों में अत्यधिक अंतर होने के कारण अपनी अधिकतर आवश्यकताओं को चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातकों की ओर उन्मुख कर दिया है । इस प्रकार कीमत में कटौती होने के फलस्वरूप आयातों के बाजार के हिस्सों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है ।

(4) देश में पाटित आयातों की उपस्थिति, घरेलू उद्योग को लागतों में हुई वृद्धि के समानुपात में अपनी कीमतों में वृद्धि किए जाने से रोक रही है ।

(5) संबद्ध वस्तुएं घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए उत्पाद से कम कीमत पर बेची जा रही हैं ।

(6) पाटित आयातों के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप ही लाभ, नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ और नकद लाभ में गिरावट आई है ।

(7) क्षति अवधि के दौरान पाटित आयातों के बाजार के हिस्से में वृद्धि हुई है।

(8) कीमतों में उल्लेखनीय कटौती होने और कम कीमतों पर बेचे जाने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वृद्धि नहीं हुई है ।

(9) कीमत से संबंधित आर्थिक प्राचलों की संख्या के रूप में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक बन गई है ।

(ग) आवेदन का प्राधिकारी से अनुरोध है कि चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाए ।

<u>निर्यातक/उत्पादक के अनुरोध</u>

(घ) उन सभी समूह की कंपनियों के लिए पर एकल पाटन मार्जिन का निर्धारण किया जाए जिनके प्रतिनिधियों ने जांच में प्रतिनिधित्व किया है । अनुरोध यह नहीं है कि याहूई के लिए पृथक रूप से कोई पाटन मार्जिन निर्धारित किया जाए, बल्कि अनुरोध यह है कि याबांग – क्यूएच और क्यूएचपीटी के लिए निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन याहूई पर भी लागू किया जाए ।

(ङ) निर्दिष्ट प्राधिकारी को एनएमई देशों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त तृतीय देश का निर्धारण करना चाहिए । तथापि, वर्तमान मामले में निर्धारित क्रिया-विधि का अनुपालन नहीं किया गया है क्योंकि हितबद्ध पक्षकारों को बाजार आर्थिक व्यवस्था वाले तृतीय देश का चयन करने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है और न ही बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश के निर्यातकों से अनुरोध किया गया है कि वे चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध कराएं ।

(च) निर्मित सामान्य मूल्य का परिकलन करने के कम्प्यूटर के पूरे ब्यौरे प्रदान नहीं किए गए हैं । ऐसे ब्यौरों के नहीं होन पर निर्यातक ऐसी स्थिति में नहीं होते हैं कि वे अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सके और यह कि इससे उनको अपने मामले में पूरी तरह से बचाव करने के उनके अधिकार प्रभावित हुए हैं और इसके परिणामस्वरूप उन्हें नैसर्गिक न्याय से वंचित किया गया गया है ।

<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

82. उत्पादकों/निर्यातकों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए मुद्दों का निदान, पूर्ववर्ती पैराओं में पहले से कर दिया गया है । तथापि, स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कुछेक मुद्दों के निदान का संक्षिप्त विवरण नीचे पुन: प्रस्तुत किया जाता है :

(क) प्रतिवादी निर्यातक ने सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला से संबंधित समस्त ब्यौरे प्रदान किए हैं । उत्पादक नामत: मेसर्ज चांघझोऊ याबांग फार्माकेम कंपनी लिमिटिड (याबांग क्यूएच) एक धारक कंपनी है और अन्य दो कंपनियां, नामत: मेसर्ज लिआनयुंगैंग वाईएएचयूआई फार्माकेम कंपनी लिमिटिड (याहूई) और मेसर्ज चांघझोऊ क्यू एच फार्मास्युटिकल और टेकक्षालाजी कंपनी लिमिटिड (क्यूएचपीटी), उसकी 100% पूर्णतया निजी स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियां है । सहायक कंपनी नामत: क्यूएचपीटी द्वारा निर्यात किया जाता है । अन्य सहायक कंपनी याहूई, याबांग – क्यू एच को केवल मध्यवर्ती कच्चे माल की आपूर्ति करने का काम ही करती है, जो कि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करती है । चूंकि याहूई ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का कोई उत्पादन अथवा निर्यात नहीं किया है, इसलिए

उसको पाटन मार्जिन स्वीकार करने पर विचार नहीं किया जा सकता है । तथापि, प्रतिवादी कंपनी ने पर्याप्त विस्तृत आंकडे प्रस्तुत किए हैं और इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रतिवादी निर्यातक को एक सहयोगी निर्यातक के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया है ।

(ख) प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रश्नावाली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और इसलिए प्राधिकारी चीन जनवादी गणराज्य से उत्पादकों/निर्यातकों के बाजार अर्थव्यवस्था के दावों की जांच करने में असमर्थ हैं । हितबद्ध पक्षकारों के इस निवेदन के संबंध में कि समान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी को पहले बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश को अभिज्ञात करने की आवश्यकता है और केवल वहां जहां कि ऐसे तृतीय देश से आवश्यक आंकडे प्राप्त करना संभव नहीं है, सामान्य मूल्य का निर्धारण, किसी भी उचित आधार पर करना चाहिए, जिसमें भारत में वास्तविक रूप से अदा की गई और देय कीमत शामिल है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए किस बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश पर विचार किया जाना चाहिए । तदनुसार प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए चीन जनवादी गणराज्य में सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाए ।

निष्कर्ष

83. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखने के बाद प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि :

(क) सम्बद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं को उनके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर भारत में निर्यात किया गया है ।

(ख) घरेलू उद्योग को सामग्रीगत क्षति हुई है ।

(ग) सामग्री की क्षति संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण हुई है ।

भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

84. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटन-रोधी शुल्क लागू करने से भारत में उत्पाद का कीमत स्तर प्रभावित हो सकता है । तथापि, पाटन-रोधी उपाय करने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्द्धा कम नहीं होगी । इसके विपरीत पाटन-रोधी उपाय करने से पाटन की पद्धतियों द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने की अनुचित प्रक्रिया समाप्त होगी, घरेलू उद्योग में होने वाली गिरावट रूकेगी तथा उपभोक्ताओं की व्यापक पसंद की संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता बढाने में सहायता मिलेगी । उपभोक्ता अभी भी आपूर्ति के दो या उससे अधिक स्रोतों को बनाए रख सकते हैं ।

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्यतया पाटन की अनुचित व्यावहारिक पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में ऐसे खुले और उचित प्रतस्पर्द्धा का वातावरण बहाल किया जा सके, जो कि देश के सामान्य हित में हो । पाटन-रोधी उपाय करने से किसी भी तरह से संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए इनसे उपभोक्ताओं को उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी ।

सिफारिशें

86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच शुरू की गई थी और इसकी सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को दी गई थी तथा निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सार्थक सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था । पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू की गई थी और उसका संचालन किया गया था तथा सार्थक पाटन मार्जिन के साथ-साथ ऐसे पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति की पुष्टि हो जाने पर, प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटन और क्षति के प्रतिकरण के लिए पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है । इसलिए प्राधिकारी यह आवश्यक समझते हैं कि नीचे वर्णित रूप में और तरीके से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाए ।

87. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम मार्जिन के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त किया जा सके । तदनुसार संबद्ध देश/क्षेत्र से मूल

रूप से होने वाले अथवा किए जाने वाले निर्यात के लिए संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर नीचे तालिका के कॉलम 9 में निर्दिष्ट राशि के बराबर पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है :

शुल्क तालिका

क्रमांक	टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि (अमरीकी डालर)	माप की इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	29 33 2950	एल्बेन्डाजोल	कोई भी विनिर्देशन	चीन जनवादी गण राज्य	चीन जनवादी गण राज्य	चांगझाऊ यावांग – फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटिड, चीन जनवादी गणराज्य (यावांग-क्यू एच)	चांगझाऊ क्यूएच फार्मास्युटिकल एंड टेक्नालोजी कंपनी लिमिटिड, चीन जनवादी गणराज्य (यावांग-क्यू एचपीटी)	9.31	कि.ग्रा.
2	29 33 2950	एल्बेन्डाजोल	कोई भी विनिर्देशन	चीन जनवादी गण राज्य	चीन जनवादी गण राज्य से अन्य कोई भी देश	कोई	कोई	10.02	कि.ग्रा.
3.	29 33 2950	एल्बेन्डाजोल	कोई भी विनिर्देशन	चीन जनवादी गण राज्य से अन्य कोई भी देश	चीन जनवादी गण राज्य	कोई	कोई	10.02	कि.ग्रा.

88. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य, सीमा शुल्क विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमाशुल्क विभाग द्वारा यथा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा और उसमें उक्त नियम की धारा 3, 3 क, 8 ख, 9 और 9 क के अंतर्गत शुल्कों को छोड कर समस्त सीमा शुल्क शामिल होंगे ।

89. इस अंतिम जांच परिणाम के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार के आदेश के विरूद्ध कोई भी अपील, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी ।

ए. के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2015

(Final Findings)

Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of "Albendazole" originating in or exported from China PR.

1. **F. No.14/31/2013-DGAD.—**Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules,1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules); M/s Sequent Scientific Limited., (hereinafter referred to as the "applicant" or "petitioner" or domestic industry") filed an application before the Designated Authority, alleging dumping of "Albendazole" (herein after referred to as subject good) originating in or exported from China PR (herein after referred to as subject country) for initiation of anti-dumping duty investigations into dumped imports of the subject good and resultant injury to Domestic Industry and for levy of anti-dumping duties on the subject good originating in or exported from the subject country. M/s K.A. Malle Pharmaceuticals Ltd also produces the like product in India and has supported the application.

2. The Authority on the basis of sufficient prima facie evidence submitted by the applicant issued a notification F.No.14/31/2013-DGAD, dated 11th September, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping investigations concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, in accordance with the Rule 6(1) of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which, if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

A. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed by the Authority in the present investigation:

a. The Authority notified the Embassy of China PR in India about the receipt of application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule5 (5) of the AD Rules.

b. The Authority issued a notification dated 11th September 2014initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject good from the subject countries.

c. The Authority forwarded a copy of the notification to all known exporters (whose details were made available by the applicant) and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2) of the AD Rules.

d. The Authority also forwarded a copy of the notification to all the known importers of the subject good in India and advised them to make known their views in writing within forty days from the date of the letter.

e. The Authority provided a copy of the non-confidential version of application to the known exporters and the Embassy of the People's Republic of China in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules. A copy of the application was also provided to other interested parties, wherever requested.

f. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters and manufacturers from China PR, including Market Economy Treatment (MET) Questionnaire in accordance with Rule6(4) of the AD Rules.

1. Changzhou Yabang –Pharmachem Co. Ltd., TianrunTech.Building, Science & Education, Changzhou, Jiangsu, P. R.China 213164.
2. Sinochem Jiangsu Co., Ltd, Jin Cheng Tower, Nanjing 210002, P.R.China
3. Hubei Zhongjia Pharmaceutical Co, Huaqiao Street, Tianmen,China
4. Wuhan Hezhong Pharmaceutical Co., Zhongshan Road,Wuchang, District, Wuhan city, Hubei Province, China

g. In response to the initiation notification, only one producer/exporter from China, Changzhou YabangPharmachem Co., Ltd. (Yabang-QH), China PR has filed the questionnaire response. The said response was also filed on behalf of their subsidiaries namely M/s. Lianyungang YAHUI Pharmachem Co. Ltd. (YAHUI) and M/s. Changzhou QH Pharmaceutical & Technology Co., Ltd. (QHPT). The subsidiaries

submitted separate detailed response after the 2nd public hearing on the direction of DA. None of the producers/exporters from China PR have filed Market economy questionnaire.

h. Questionnaires were sent to the following known importers/users of subject good in India calling for necessary information in accordance with Rule6(4) of the AD Rules:

1. C.J.Shah& Co., Mumbai
2. Medipharma Drug House, Mumbai
3. BimalPhama, Mumbai
4. Genereal Import, Mumbai
5. VidyaPharma, Mumbai
6. Ashish Life Science, Mumbai
7. Concept Pharma, Mumbai
8. Pharmanza, Mumbai
9. KwalityPharma , Mumbai
10. MaxhealPharma, Mumbai
11. Cipla Limited , Mumbai

i. None of the importer / user of the subject good has responded to the questionnaire.

j. Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept for inspection by the interested parties. Submissions made by all interested parties have been taken into account in disclosure statement.

k. The confidentiality claims of various interested parties in respect of the data submitted by them have been examined. The information, which is by nature confidential or which has been provided on a confidential basis by the interested parties, along with non-confidential summary thereof, has been treated confidential.

l. Further information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the domestic industry and cooperating producers/exporters was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.

m. The Non-injurious Price (hereinafter referred to as 'NIP') based on the cost of production and cost to make and sell the subject goodin India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure- III of AD rules has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.

n. Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2013 to 31st March 2014 (hereinafter referred to as the 'period of investigation' or the 'POI'). The examination of trends, in the context of injury analysis covered the period from 2010-11, 2011-12 and 2012-13 and the POI.

o. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject good for the past three years, including the POI. The authority has relied upon import data procured from DGCI&S in the present investigation.

p. The Authority held oral hearing on 14th July 2015to provide an opportunity to the interested parties to present information orally in accordance with Rule 6(6). Another oral hearing was held on 11th August 2015 in view of the change of Designated Authority to give an opportunity to the interested parties to present information orally before the new DA. The interested parties were allowed to present rebuttal arguments/rejoinders on the views/information presented by other interested parties. The Authority has considered submissions received from interested parties appropriately.

q. A disclosure statement was issued on 23.10.2015containing essential facts under consideration of the Designated Authority, which have formed the basis for this Final Finding Notification. A time up to 30.10.2015 was given to furnish comments, if any, on Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately

r. *** in this statement represent information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

s. Arguments raised and information provided by various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in this disclosure statement.

t. Exchange rate for conversion of US$ to Rs. is considered for the POI as Rs. 61.1 as per exchange rates published by customs.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. The product under consideration as notified in the initiation notification dated 11th September 2014 is 'Albendazole'. Albendazole is a broad spectrum drug containing anthelmintic (de-wormer), used inhuman as well as animal (Veterinary) applications. The chemical name of Albendazoleis methyl (5-propylsulfanyl-3H-benzoimidazol-2-yl) amino-formate but in trade parlanceit is also known by different trade names such as Albenza, Valbazen®, Eskazole, ZentelandAndazol. Its molecular formula is C12H15N3O2S.

5. Albendazole has wider usein veterinary application as compared to human consumption due to its high dosage and regularity of use. It is a white to off-white powder used for treating certain infections caused by worms such as pork tapeworm and dog tapeworm. For humans, the dosage given is in the form of tablets, whereas for animals, it is in liquid form. Albendazole is an API (active pharmaceutical ingredient) used mainly in formulation drugs such as Zentel (by GSK) and Bendex (by Cipla).

6. The subject good are classified under Chapter 29 of the Custom Tariff Act, 1975under Tariff heading 29 33 2950. It has been claimed by the petitioner that subjectgood are also being imported under other headings such as 23 09 9090, 29 33 1100, 2933 2990, 29 33 5990, 29 33 9090, 29 41 9090 etc. It is clarified that the HS codes areonly indicative and the product description shall prevail in all circumstances.

Examination by the authority

7. No specific issues have been raised in respect to product under consideration by any of the interested parties in the present investigation.

8. After considering the information on record, the Authority holds that there is no known difference in product under consideration exported from subject country and the product produced by the Indian industry. Product under consideration produced by the domestic industry are comparable to the imported subject product in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.

9. Thus, the Authority proposes to hold that product under consideration produced by the applicant domestic industry is like article to the subject product under consideration in accordance with the AD Rules.

C. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING:

Views of Exporter

10. Views of the Exporter are as follows:

a. No details have been provided by Domestic industry for two other producers i.e. M/s. Cadchem Laboratories Limited and M/s. Vardhman Chemtech Limited.

b. No production and sales information of the producers have been provided nor considered in the application for any of the year of the injury investigation period therefore; standing of the DI cannot be justified.

Views of Domestic Industry

11. Views of Domestic Industry are as follows:

a. Domestic Industry is the largest producers of the subject good in India having a share of 88% in the domestic production of subject goods.

b. M/s. K A Malle Pharmaceuticals Ltd also produces the like product in India and has supported the present petition.

c. As per market information available with the Petitioner, M/s. Cadchem Laboratories and Vardhaman Chemtech have very limited capacity. These companies are not manufacturing the subject goods from basic production stage and only doing some processing of semi-finished goods in India such as converting crude Albendazole to Pure Albendazole. Both the companies regularly import the product concerned from the subject country. Therefore, both these companies should not be considered as part of domestic industry.

d. No additional evidence has been provided by any other interested party to deny the claim made by the Petitioner.

Examination of the Authority

12. The submissions made by the interested parties during the course of the present investigation with regard to the scope of domestic industry & standing and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:

a. The Authority notes that Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules defines domestic industry as under:-

> "*domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"*

13. As per above stated Rule the authority notes that the applicant is the largest producer of the like article and constitutes major proportion of the total domestic production.

14. In respect to M/s. Cadchem Laboratories and Vardhaman Chemtech, the authority notes that no submission has been made by these companies. None of the parties refuted the claims of domestic industry that these companies do not produce the subject goods presently. Further, these companies import the subject goods from China PR. Therefore, Authority concludes that these companies do not constitute the part of domestic industry for the purpose of this investigation.

15. Apart from the petitioner, M/s. K A Malle Pharmaceuticals Ltd also produces the like product in India. M/s K.A. Malle Pharmaceuticals Ltd. has supported the present petition filed by the Petitioner and support letter in this regard has been placed on record. The applicant has 88% share of the domestic production of subject goods.

16. In view of the above and after due examination, the Authority holds that the applicant satisfies the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules and constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b).

D. DE MINIMIS LIMITS

17. As per the import data received by the Authority from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and other secondary sources (IBIS), as well as the data furnished by the cooperating exporters from the subject country, the imports of the subject goods from the subject country are found to be above the *de minimis* level.

E. CONFIDENTIALITY

View of OpposingInterested Parties

18. Following are the views of the Exporter:

a) The domestic industry has claimed excessive confidentiality and claimed lots of information as confidential without providing any legitimate reasons and in violation of the Rules and detailed procedure laid down by the Hon'ble Authority. The non-confidential application provided is completely deficient and the exporters have been denied of a reasonable opportunity to make submissions in defense.

b) The non-confidential version of the application submitted by the domestic industry is not a replica of the Confidential Version. In the absence of the non-confidential replica of the confidential version of the application by the domestic industry, the exporters are denied an opportunity to comment upon all the evidence submitted by the domestic industry on confidential basis to the Authority.

c) The domestic industry has not provided a hard copy and a soft copy in excel file of the raw/original import data received by it from IBIS along with the application nor it has indicated that the same has been provided to the Authority.

d) The domestic industry has also not provided a soft copy in excel file of the sorted IBIS import data for the years April 10-March 11, April 11-March 12, April 12-March 13 and April 13-March 14.

e) A list of excluded transactions from the raw/original import data received from IBIS has also not been provided.

f) The domestic industry has disclosed the names of two other domestic producers. However, no details have been provided as to when they stopped producing the subject goods. Further, no production and sales information of those two producers have been provided nor considered in the application for any of the year of the injury investigation period.

g) Profit / loss and ROCE in percentage terms and inventory have been kept as confidential.

Views of Domestic Industry

19. The following are the submissions of domestic industry.

a. The non-confidential version of the application is an exact replica of the confidential version.

b. The Petitioner has provided indexed figure in the application wherever the information was confidential. Further wherever summarization is not possible, the Petitioner has provided the reasons for the same to the satisfaction of the Designated Authority.

c. Complete raw data of imports as obtained from IBIS is provided and contains all the items pertaining to subject good. Therefore, no sorting of data is required from the raw data.

d. The profit/loss and ROCE in indexed units are provided in non-confidential version.

e. The inventory in the form of indexed units is provided in the non- confidential version.

f. Yabang-QH has not explained the basis of pricing of the material that it purchased from its related company YAHUI. Yabang-QH has also not explained as to how it determined that such pricing reflected fair market price.

g. Yabang-QH cannot claim confidentiality on the total quantity of the sales transactions.

h. Yabang-QH has not disclosed the VAT refund rate in the questionnaire response.

Examination of the Authority

20. The various submissions made by the interested parties during the course of the present investigation with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority are examined and addressed in terms of Rule 7 of Anti-dumping Rules.

21. Information provided by the interested party on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.

22. With regard to issue of import data, the authority has relied upon DGCIS data and the same has been placed in public file.

ASSESSMENT OF DUMPING – METHODOLOGY AND PARAMETERS

F. **NORMAL VALUE, MARKET ECONOMY TREATMENT, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN**

a. **Normal Value**

23. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely trans-shipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

b. **Provisions relating to Non- Market Economy country**

24. Annexure-I to AD rules states as under:

7. In case of imports from non-market economy country, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other country, including India or where it is not possible, or on any other

reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

8. (1) The term "non-market economy country" means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in sub-paragraph (3)

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an anti-dumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three year period preceding the investigation is a nonmarket economy country

Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3)

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether:

(a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;

(b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;

(c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and

(d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate.

Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph".

Views oftheDomesticIndustry

25. The following are the submissions made by the applicants in respect of normal value:

a. China PR should be considered a non-market economy, in line with the position taken by the Authority in previous cases, and by investigating authorities in other countries. Chinese producers' cost and price cannot be relied upon for determination of normal value.

b. The Petitioner has determined normal value of subject goods based on constructed cost of production of the subject goods.

c. The normal value is constructed as per the provision enshrined under Paragraph 7 of Annexure-I of AD Rules. The applicant was not able to find any credible information. Therefore, the applicant constructed the normal value based upon its own cost of production as per consistent practice followed by the Designated Authority.

d. Interested parties failed to exercise their right and failed to make any submissions within time frame as provided in the initiation notification.

e. The interested parties have not suggested any appropriate market economy third country where subject goods are manufactured for determining the normal value.

f. None of the exporters from China PR have claimed Market Economy Treatment. Therefore, it can be implied that exporters are agreeing to the submissions made by petitioner to treat China PR as NME and the normal value should be calculated as per paragraph 7 of Antidumping Rules.

Views of Exporter

26. Submissions of the exporter are as follows:

a. China PR is a non-market economy country and the normal value for China is required to be determined in accordance with the provisions of para 7 of Annexure I to the Anti-dumping Rules.

b. The Designated Authority is required to first identify the market economy third country for determination of normal value and only where it is not possible to obtain necessary data from such third country, the normal value is to be determined on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin.

c. The interested parties have not been put to notice about selection of the third country nor have the interested parties been requested to suggest and make necessary information available about the third country. This is in contravention of the ratio decided in the case of Shenyang Matsushita 2005 (181) ELT 320 (SC).

d. The domestic industry determined the normal value for Chinese exporters on the basis of domestic cost and it did not follow the mandatory procedure prescribed in para 7 as laid down by the Hon'ble Supreme Court in Shenyang Matsushita 2005 (181) ELT 320 (SC). There is a hierarchy of methods to be followed as prescribed in Para 7 and the determination of normal value by relying upon the Indian costs and prices is the last method and that is to be followed only in the event it is not possible to construct the normal value on the basis of other alternatives prescribed in the opening sentence of Para 7. Thus, in the absence of following the mandatory procedure, the present proceedings cannot continue and have become incurable in view of the decision of the Hon'ble Supreme Court in the case of Shenyang Matsushita.

Examination by the Authority

Market Economy Treatment and Normal Value

27. The authority notes that none of the producers/exporters from China PR has filed Market economy questionnaire and therefore the authority is unable to examine the market economy claims of producers/exporters from China PR. Accordingly, the authority proposes to determine the normal value in China PR for all producers/exporters on the basis of facts available, in terms of para 7 of Annexure I to the Anti-dumping Rules.

28. With regard to submission of interested parties that Authority is required to first identify the market economy third country for determination of normal value and only where it is not possible to obtain necessary data from such third country the normal value is to be determined on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India. The authority notes that none of the interested parties has suggested which market economy third country for determination of normal value should be considered and no information has been provided.

29. The Authority proceeds to determine the Normal value for China PR on available facts basis in terms of second proviso of Para 7 of Annexure 1 to the AD Rules. Accordingly, in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules, the Authority has constructed the Normal value for the Chinese producers on the following basis –

a) International prices of major raw materials have been considered.

b) Consumption of raw materials and conversion costs have been adopted on the basis of information/ data available of the domestic industry.

c) Selling, general & administrative costs have been taken on the basis of information/data of the domestic industry.

d) Profit has been taken @ 5% of ex-factory cost excluding interest.

The normal value so proposed is as mentioned in the dumping margin table below.

c. Export price

Views of Domestic Industry

30. The following are the submissions made by the applicants in respect of export price:

a. As per the information available with the domestic industry, VAT rate is 17% and refund rate is 9% on subject product. Therefore, the authority should reduce the export price by 8% in determining the ex-factory export price.

b. Due to non-cooperation by the entire value chain of Yabang-QH group, it should be treated as non-cooperative.

c. Both YAHUI and QHPT have not filed separate individual questionnaire responses in the subject investigation. Yabang-QH has in fact tried to create confusion in its questionnaire response by including data concerning YAHUI and QHPT in its response

d. Response submitted by Yabang-QH does not contain complete information with respect to YAHUI and QHPT as required under the Antidumping Rules. Absence of complete information automatically leads to rejection of response.

e. All the related companies are under legal obligation to file separate questionnaire response. The combined responses by Yabang-QH, YAHUI and QHPT have been filed with malafide intention to hide crucial facts from the Designated Authority.

f. During POI, YAHUI is only engaged in supply of intermediate raw materials to Yabang- QH, who produces the subject goods. Therefore, when a company is not engaged in production of subject goods during POI, that company cannot be treated as producer. The production of subject goods post-POI does not make any difference as it is essential to manufacture the subject goods during POI. Therefore, YAHUI cannot be granted to any duty rate.

g. The authority must reject questionnaire response by YAHUI and QHPT filed at such belated stage of investigation.Similar practice has been followed by the Designated Authority in all the previous antidumping investigations.

h. The Designated Authority in the sunset review anti-dumping investigations concerning imports of (1) Saccharin originating in or exported from China PR, (2) sheet glass from China PR and (3) R- 134A from China PR have rejected the belated response filed by the exporters. Therefore the response by YAHUI and QHPT cannot be accepted at such belated stage of investigation.

Views of Exporter:

31. Submissions of the exporter are as follows:

a. The company has stated that they have provided all the details relating to the complete value chain. M/s Changzhou YabangPharmachem Co., Ltd. (Yabang QH) is a holding company and the other two companies i.e. M/s. Lianyungang YAHUI Pharmachem Co. Ltd. (YAHUI) and M/s. Changzhou QH Pharmaceutical & Technology Co., Ltd. (QHPT) are the 100% wholly owned subsidiary companies. Therefore, the holding company can legally provide details for both of its 100% wholly owned subsidiary companies in a joint response. Further, with the filing of separate information for QHPT and YAHUI, no new information would be submitted and the information already submitted would only be separately provided. It has been mentioned that under the similar circumstances, in the investigations concerning *Polypropylene from Oman, Saudi Arabiaand Singapore and PVC Suspension Resins* the joint responses from several companies were accepted without asking them to file separate response for each company. However, exporter does not have any objection in filing the separate response for QHPT and YAHUI.

b. They further stated that the subject goods exported to India, in the period of Investigation by M/s Changzhou QH Pharmaceutical & Technology Co., Ltd. (QHPT) have been manufactured by M/s Changzhou YabangPharmachem Co., Ltd. (Yabang QH). The second subsidiary, M/s. Lianyungang YAHUI Pharmachem Co. Ltd. (YAHUI)did not manufacture the subject goods during the period of investigation as they were intomanufacture and supply of the intermediate product (Amino-4-propylthio-aniline and Cyanide carbamate) of Albendazole to Yabang QH for manufacturing Albendazole. The cost of the intermediate manufactured by YAHUI accounts for 87.4% of total cost of Albendazole.Currently, YAHUI is also producing the subject goods. Since all the three companies are group companies and under the common control and management, a single dumping margin is to be determined for them in accordance with Article 6.10 of the WTO ADA and single duty, if any is to be imposed on them.

c. In a Panel Report in Korea-Anti-dumping duties on “Certain Paper” from Indonesia,the Panel held that the context of Article 9.5 strongly suggests that the term "exporter" in Article 6.10 should not be read in a way to require an individual margin of dumping for each independent legal entity under all circumstances.Thus, Article 6.10 does not necessarily preclude treating distinct legal entities as a single exporter or producer for purposes of dumping determinations in anti-dumping investigations. While treating multiple companies as a single exporter or producer for the determination of dumping margin in an investigation, it is to be seen whether these companies are in a relationship close enough to support that treatment.Thus, in view of the Panel Report, it is to be seen that since all the three companies are fully under the same management and control, they can be treated as single economic entity and a single dumping margin may be determined for all the three group companies under 6.10 of WTO ADA in the interest of justice as there would not be any new shipper right available to YAHUI.

d. Exporter has drawn attention to the Final Findings of European Commission in the case of imports of Certain Saddles originating in China PR (Council Regulation (EC) No. 691/2007 dated 18th June 2007)wherein the EC under the identical situation made applicable the dumping margin determined for a group of companies to other group company that has not exported the subject goods to European Union in the investigation period. The relevant excerpts from the said EC findings are reproduced below for the ready reference of the Authority:

"(19). One cooperating exporting producer claimed that an individual dumping margin should also be attributed to one company in the group who had not exported to the EC during the IP. Given that the group has fully cooperated in the investigation, their claim was accepted and the group's average dumping margin should also be attributed to this company, Cionlli Bicycle Components (Tianjin) Co., Ltd.…"

e. Accordingly, they have requested the Authority for determination of a single dumping margin for the aforesaid three group/related companies.

Examination by the Authority

Export price in case of producers and exporters from China PR

32. The exporter supplemented their response subsequent to the hearing. The same has been taken on record and examined. During the POI, YAHUI was only engaged in supply of intermediate raw materials to Yabang- QH, who produced the subject goods.With regard to the request of YAHUIfor single rate of duty for all the companies in group relying upon the Panel report of Korea- Anti dumping Duties on Certain Papers from Indonesia,the authority notes the following:

a. Article 6.10 of WTO Antidumping Agreement and Rule 17(3) of Indian AD rules states that individual margin of dumping should be determined for each known exporter or producer of subject goods.

b. The facts in WTO Panel report relied uponare completely different and the same are not applicable to the present investigation. The issue in Panel report was whether several related companies who have produced and exported the article under investigation can be treated as single economic entity and whether a single margin of dumping can be assigned to them. The Panel report is applicable to a situation wherein there are several related companies who are engaged in production and export of subject goods and a single rate of dumping margin is determined for all of them taken together. It is not applicable to a situation wherein a company has not produced and exported the subject goods during POI. The case of Final Findings of European Commission relating to imports of Certain Saddles originating in China PR, quoted by the exporter, pertains to the scenario where subject goods were produced by the individual company during POI though not exported.

c. In the instant case, during the POI, YAHUI is only engaged in supply of intermediate raw materials to Yabang-QH, who produces the subject goods. Therefore, when a company is not engaged in production of subject goods during POI, it cannot be treated as a producer of subject goods. YAHUI has neither produced nor exported the subject goods during POI. Further, the production of subject goods in post-POI is not a deciding relevant fact as it is essential to manufacture and export the subject goods during POI. The dumping margin is determined for POI based on facts prevailing during POI.

d. In view of the above, it is not possible to determine dumping margin for YAHUI.

33. In the EQR, Changzhou YabangPharmachem Co., Ltd (Yabang – QH) China PR has given details of the exports made to India. The Authority made adjustments as claimed by the exporter in their EQ response in order to arrive at the net export price at ex-factory level. As the exports were made on FOB basis, price adjustments have been made on account of inland freight, clearing charges, credit costs, bank charges & VAT etc. on the basis of the questionnaire response filed by the exporter and the related producers. After making the acceptable adjustments, the Authority proposes to determine weighted average net export price as mentioned in the dumping margin table below.

34. The export price for other producers/exporters in case of China PR is proposed to be determined on the basis of best available information on record. The Authority considered the lowest export price of the co-operative exporter and made adjustments on account of inland freight, clearing charges, credit costs, bank charges & VAT, etc. adjustment in order to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level proposed to be determined is mentioned in the dumping margin table below:

Dumping Margin

Producer	Exporter	Normal Value US$/Kg	Export price US$/Kg	Dumping Margin US$/Kg	Dumping Margin %	Range
Changzhou Yabang – Pharmachem Co. Ltd, China PR (Yabang-QH)	Changzhou QH Pharmaceutical & Technology Co. Ltd. China PR (QHPT)	***	***	***	***	75-85
All other Producers/ Exporters	All other Producers/ Exporters	***	***	***	***	75-85

G. DETERMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

Injury Determination

Submissions made by Domestic Industry

35. Following are the views of domestic Industry:

a) The volume of dumped imports have increased at an alarming rate into India from China PR. Imports of subject product from China PR in relation to domestic production have reached a level of 30% during POI as compared to 13% during 2010-11.

b) The petitioner is not able to increase its domestic prices as the Chinese exporters are offering goods at much lower price resulting in substantial price undercutting and underselling.

c) There has been substantial price undercutting of domestic industry prices by China PR throughout the injury period and POI. Due to substantial price undercutting, Domestic Industry has not been able to increase its price to recover the increasing cost of sales.

d) The petitioner is not able to utilize the full capacity due to intensive dumping by Chinese Exporters. Almost 32 % of the petitioners' capacity remains unutilized. With such high unutilized capacities, the petitioner is getting into severe financial crunch.

e) The landed value of Chinese imports is almost 50% of the cost of production of the domestic industry causing severe injury to domestic industry

f) Domestic Industry has only been able to increase its domestic sales volume by 25% whereas demand in domestic market has increased by 40%.The demand has increased from 427,297 Kgs in 2010-11 to 573,164 Kgs during POI, an increase of 145,867 Kgs. Out of the said increase; the Petitioner was able to get only 69,137 Kgs.

g) The increase in demand in market is captured by the imports from China PR and the market share of domestic industry has declined.

h) Market share of the petitioner has declined from 65% during 2010-11 to 60% during POI and share of domestic producers in India has declined from 86% to 71% during same period.

i) Domestic Industry's profitability has gone down drastically during POI due to intensified dumping by Chinese exporters. The losses suffered by the domestic industry have increased during injury analysis period and POI.

j) Due to cost reduction efforts made by the domestic industry, losses were reduced to certain extent but remain far away from earning profits leave aside the 22% ROCE.

k) The exporters are making comparison of market share during POI with immediately preceding year. This type of comparison is flawed and illogical.

l) Even though the import prices have increased over the injury period but they are still lower by 30-40% of the domestic sales prices of the Petitioner.

m) With significant difference between the landed value of the imported goods and cost of the Petitioner, the Petitioner has been suffering losses over injury period and POI.

n) The exporters are showing the absolute increase in depreciation, interest and wages not per unit increase in depreciation, interest and wages cost. If the Designated Authority converts the absolute numbers into per unit costs, these expenses will show only a marginal increase. Similarly, if per unit of capital employed is calculated, it will show that there is only marginal increase in capital employed.

o) The exporters have failed to explain why the export prices of subject goods from China PR are significantly low.

Submissions by Exporter

36. Submissions made by the interested parties are summarized below:

a. There is no volume injury to the domestic industry as Production Volume, Capacity utilization, Domestic Sales Volume, Market Share, Inventory, Numberof employees and Wages all have significantly improved over the injury investigation period.

b. There is also no Price Injury as the import prices from the subject country over the injury investigation have increased by 55% whereas the domestic prices increased by 21% over the same period. Further, there is no price depression and suppression of the domestic prices in the current case. It may be seen that the domestic industry is suffering from other factors but not from the alleged dumped imports from China as the domestic industry is historically in losses as per the information available for the last 5-6 years.

c. The domestic industry stated that they incurred losses in the period of investigation due to their increase in cost as a result of increase in raw material cost. However, they have not provided any details of increase in raw material cost and made mere statements. On close examination of the details provided by the domestic industry in proforma IVA, it may be seen that there is a significant increase in depreciation cost by 118%, interest cost by 91% and wages by 139% over the injury investigation period.

d. It may also be seen that the capital employed of the domestic industry has increased by 34% over the injury investigation period. However, there is no increase in the capacity of the subject goods of the domestic industry. The consequent effect of such a significant increase in net fixed assets /capital employed has resulted into a significant increase in depreciation cost by 118% and interest cost by 91% over the injury investigation period. The number of employees engaged by the domestic industry also increased over the injury investigation period and that such an increase also resulted into increase in the wages and that the same have increased by 139% over the injury investigation period.

e. The domestic industry during the public hearing also admitted that its total cost increased by 10-15% over the injury investigation period and out of which 7-8% is due to increase in the interest cost. Thus, the balance increase in the cost of the domestic industry is due to increase in depreciation cost and wages. Hence, there is no merit in the submissions of the domestic industry that its cost increased due to increase in raw material cost. The domestic industry may also submit that the increase in the said cost factors i.e. depreciation, interest and wages is due to increase in its sales. It may be seen that we also examined the increase in domestic sales and find that the same increased by 25% only over the injury investigation. However, the increase in the said cost factors is much higher and ranging in between 91% to 139%.

f. Thus, the increase in the cost of the domestic industry is as a result of its own business decisions but not due to alleged dumping from China. Therefore, the claim of the domestic industry that it has suffered injury due to imports from China PR is not justified under the facts and circumstance of the case. Rather, it is a case of self-inflicted injury to the domestic industry and the imports from the subject country have no impact on the performance of the domestic industry.

Examination of the issues by the Authority

37. The Authority has taken note of submissions made by the interested parties. The Authority has examined the injury to the domestic industry in accordance with the Anti-dumping Rules and considering the submissions made by the interested parties.

38. Rules require the Authority to examine injury by examining both volume and price effect. A determination of injury involves an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic industry. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree.

39. As regards the consequent impactof dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure-II of Anti-dumping Rules states as under:

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."

40. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and submissions made by various interested parties.

a. **Assessment of Demand**

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (POI)
Imports from subject country (China)	Kgs	88,253	145,654	237,850	176,725
Trend		100	165	270	200
Non Dumped Imports (Other Countries)	Kgs	-	2	5	69
Trend		-	100	-	3,450
Total Imports	Kgs	88,253	145,656	237,855	176,794
Trend		100	165	270	200
Total Domestic sales Petitioner	Kgs	277,371	290,080	282,087	346,508
Trend		100	105	102	125
Sales-Supporter	Kgs	89,251	20,414	122,192	65,403
Domestic Production of Petitioner	Kgs	385,734	373,821	405,218	465,092
Production-Supporter	Kgs	99,003	23,796	133,192	64,256
Total Domestic Production		**484,737**	**397,617**	**538,410**	**529,348**
Imports from China relative to domestic production	%	18	37	44	33
Demand		**454,875**	**456,150**	**642,134**	**588,705**
Imports from China relative to consumption	%	19	32	37	30

41. The demand has increased from 454,875Kgs in 2010-11 to 588,705 Kgs during POI, an increase of 133,830Kgs. However the sale of domestic producer has only increased from 277,371 Kgs in 2010-11 to 346,508 Kgs in POI only. The import from China PR has doubled from 88,253 Kgs in 2010-11 to 176,725 in POI.The import of China PR in relation to domestic consumption has increased from 18% in 2010-11 to 33 % in POI.It is, thus, concluded that imports from China have increased both in absolute terms and in relation to production and consumption in India.

b. Price Effect

42. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows:

> *"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree."*

43. It has been examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any.

c. Price Undercutting

44. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex factory level. This comparison showed that during the period of investigation, the subject good originating in the subject country were imported into the Indian market at prices which were lower than the selling prices of the domestic industry. It is thus noted that imports of subject good were undercutting the domestic prices.

Particulars	Units	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (POI)
Domestic Sales Realization	Rs/Kg	***	***	***	***
Indexed	Index	100	102	121	121
Landed Value	Rs/Kg	***	***	***	***
Indexed	Index	100	120	161	167
Price Undercutting	Rs/Kg	***	***	***	***
Indexed	Index	100	81	73	65
Price Undercutting	%	81	55	37	32
Price Undercutting Range	%	75-85	50-60	30-40	30-40

45. It is thus noted from the above table that:

a) There has been substantial price undercutting of domestic industry prices by China PR throughout the injury period and POI.

b) Due to substantial price undercutting Domestic Industry has not been able to increase its price to recover the increasing cost of sales.

a. Price Underselling

46. The Authority has also examined price underselling caused by the dumped imports from China PR. For this purpose, the NIP determined for the domestic industry has been compared with the landed value of imports. Comparison of NIP of the domestic industry with weighted average landed value of imports shows as follows:

Particulars	UOM	POI
Non-injurious price	Rs/Kg	***
Landed Value	Rs/Kg	***
Price Underselling	Rs/Kg	***
Price Underselling	%	***
Price Underselling	% Range	55-65

47. It is seen that the landed value of the subject goods from China PR were significantly lower than the NIP determined for the domestic industry resulting into a significant price underselling.

d. PriceSuppression/Depression

48. In order to determine whether the effect of such imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority examined the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the Table below:

Particulars	Units	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (POI)
Landed Value	Rs/Kg	***	***	***	***
Cost to make and sell	Rs/Kg	***	***	***	***
Indexed		100	92	119	123
Domestic Selling Price	Rs/Kg	***	***	***	***
Indexed		100	102	121	121

49. The following has been noted:

a. The cost of production of subject product has increased by 23 points whereas selling price during the same period has gone up only by 21 points.

b. The landed value of Chinese exporters is almost 50% of cost of production of the domestic industry causing severe injury of domestic industry.

c. Domestic industry is facing serious price depression due to low prices offered by Chinese exporters. Domestic industry is not able to increase its domestic sales realization and consequently unable to recover its costs. There is continuously price suppression from China PR.

OTHER ECONOMIC PARAMETERS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

50. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of

dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

(i) Capacity, Production, Capacity Utilisation, and Sales:

51. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity & capacity utilization was examined and shown in the table below:

Particulars	Units	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (POI)
Capacity	Kg	684,000	684,000	684,000	684,000
Indexed		100	100	100	100
Production	Kg	385,734	373,821	405,218	465,092
Indexed		100	97	105	121
Capacity utilization	%	56	55	59	68
Indexed		100	97	105	121
Domestic Sales	Kg	277,371	290,080	282,087	346,508
Indexed		100	105	102	125
Export Sales	Kg	91,707	88,893	106,787	111,176
Indexed		100	97	116	121
Demand	Kg	454,875	457,484	642,129	588,664
Demand Indexed		100	101	141	129

52. From the above table, it can be seen that the capacity utilization of the domestic industry has improved during the POI. Due to constant pressure from dumped imports, domestic industry is unable to increase its prices to recover the cost of sales and somehow managed to achieve 68% capacity utilization. The balance 32% of the capacity remains unutilized. If domestic industry has not matched the prices offered by exporters from China PR then situation would have been more critical.

53. The authority also notes that the domestic industry has sufficient capacity to satisfy the whole demand in Indian market. However, the petitioner is not able to utilize the full capacity due to intensive dumping from Chinese Exporters. Almost 32 % of the petitioners' capacity remains unutilized.

(ii) Market Share

Market Share	Units	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14(POI)
Domestic sales of Petitioner	Kg	277,371	290,080	282,087	346,508
Indexed		100	105	102	125
Sales-Other Producers	Kg	89,251	20,414	122,192	65,403
Indexed		100	23	137	73
Share of Petitioner	%	61	64	44	59
Trend		100	104	72	97
Share of Other Producers	%	20	4	19	11
Trend		100	23	97	57
Share of China PR	%	19	32	37	30
Trend		100	165	191	155
Share of Other countries	%	0.000	0.000	0.001	0.012

54. Following is noted from the above table:

a) Market share of the petitioner has declined from 61% during 2010-11 to 59% during POI and share of domestic producers in India has declined from 20% to 11% during same period.

b) At the same time, share of imports from China PR increased from 19% to 30%. In order to retain declining market share, the domestic industry has to consistently match the lower prices offered by exporters.

(iii) Profitability

55. Profits earned by the domestic industry from sale of the subject goods in the domestic market has been as follows:-

Particulars	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (POI)
Profit/Loss (Rs. Lakhs)	***	***	***	***
Indexed	(100)	(56)	(114)	(162)
Profit/Loss (Rs. Per Kg)	***	***	***	***
Indexed	(100)	(54)	(112)	(130)

56. It is noted by the authority that domestic industry's profitability has gone down drastically during POI due to intensified dumping by Chinese exporters. The losses suffered by the domestic industry have increased during injury analysis period and POI. From total losses of 100 indexed units in 2010-11, losses have increased to 162 indexed units during the POI.

57. The major reason for losses suffered by domestic industry is landed value of Chinese exporters is almost 50% of cost of production of the domestic industry.

(iv) Cash Flow

Particulars	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (POI)
Cash Profit (Rs in Lacs)	***	***	***	***
Indexed	(100)	(46)	(107)	(155)
Cash Profit (Rs. Per Kg)	***	***	***	***
Indexed	(100)	(44)	(105)	(124)

58. It is noted that the cash losses have been increasing throughout the injury period and POI. There has been a sharp increase in cash losses of the domestic industry during POI as compared to 2011-12 due to intensified dumping from China PR. Moreover, if the dumping intensifies further, the negative cash flows will increase further and the domestic industry will not be in a position to service its debts.

(v) Return on Capital Employed and Ability to Raise Investments

59. The return on capital employed followed the same trend as that of profits and cash profits. ROCE during POI has fallen significantly as compared to previous years.

Particulars	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (POI)
Capital employed (Rs. Lacs) (Domestic)	***	***	***	***
Indexed	100	126	115	135
Return On Capital Employed (%) (Domestic)	***	***	***	***
Indexed	(100)	(120)	(162)	(159)
Capital employed (Rs. Per Kg) (Domestic)	***	***	***	***
Indexed	100	121	113	108

60. It is noted that domestic industry is unable to match the prices offered by Chinese exporters; it has to continuously suffer losses. Due to cost reduction efforts made by the domestic industry, the DI have tried to contain losses but they remain far from earning profits.

(vi) Inventories

Inventory	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (POI)
Inventory (in Kg)	***	***	***	***
Indexed	100	111	188	227

61. It is noted that domestic industry is unable to dispose off its production at remunerative prices and consequently inventory of the domestic industry has increased substantially during the POI.

(vii) Growth

62. The domestic industry has recorded a negative growth in volume terms as compared to increase in demand and a significantly negative growth in monetary terms during the past three years.

(viii) **Ability to raise capital investments**

63. The Authority notes that given the demand of the product in the country, the domestic industry had made investments in plant and machinery. However, the performance of the domestic industry has deteriorated considerably and further investment may get adversely affected.

(ix) **Factors Affecting Domestic Prices**

64. As stated elsewhere in this finding, quality of the goods produced by the domestic industry is at par with the imported goods. Domestic industry has sufficient capacity to cater to Indian demand and therefore, availability of material is not a constraint. Delivery problems are also almost non-existent. Thus, even though market conditions are favorably aligned for subject product produced by the domestic industry, yet the domestic industry is not operating at optimum capacity. Such a situation has arisen only because of dumped imports coming into the country at significantly low prices. Many of the Indian customers quote the prices at which the imported goods are coming into the country and ask the domestic industry to match the imported prices. The factors that adversely affect the domestic industry are both the volume of imports as well as the prices at which the imported goods enter the country.

(x) **Magnitude And Margin Of Dumping**

65. The imports coming into India from the China PR are far above the de minimis level of dumping margin. The dumping margin for China PR is quite significant. With such high magnitude of dumping margin, dumped imports have caused material injury to the domestic industry. The domestic industry apprehends that the present situation is highly precarious and if imports continue to enter the country at the current dumping margin level, there is a likelihood of more intensified injury to the domestic industry.

(xi) Conclusion on injury

66. Based on the above, the Authority concludes that the dumped imports of the subject goods from China PR has increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption of the subject goods in India. Imports of the product were undercutting the prices of the domestic industry in the market. Further, while the cost of production kept increasing over the injury period andincrease in selling price was not enough to recover cost of sales. The imports were thus suppressing the prices of the domestic industry and preventing the price increases that would have otherwise occurred in the absence of dumped imports. With regard to consequent impact of the dumped imports on the domestic industry, it is observed that the domestic industry lost market share which, in turn, affected other performance parameters.

67. The Authority notes that the domestic industry has suffered injury on account of volume (market share) as well as price effect of dumped imports, as a result of which the profitability of the domestic industry has declined. Return on capital employed and cash profits followed the same trend as that of profits. Both return on capital employed and cash profits remained negative in POI. Thus, growth in respect of most of the parameters such as profits, cash profits, return on capital employed, market share & inventory, etc. shows an adverse impact on the domestic industry. Thus, Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury.

H. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK:

Views of domestic industry:

68. Following are the views of domestic industry:

a. The imports from the subject country have increased tremendously from 60675Kgs in 2010-11 to 161225 Kgs in 2013-14. The demand of subject good has increased from 427,297 Kgs in 2010-11 to 573,164 Kgs during POI, an increase of 145,867 Kgs. Out of the said increase, the petitioner in India were able to get only 69,137 Kgs. The imports from other country are less than 1% of total imports. The imports from China PR are significantly undercutting the prices of the Petitioner.

b. The imports have increased more than 3 times over the injury period (based upon IBIS data). There is further increase in imports of the subject good during post-POI.

c. The demand of the subject good has increased by 40% during POI as compared to 2011-12. The increase in demand in market is captured by the imports from China PR and the domestic industry market share has declined.

d. The authority should analyze the injury period as a whole rather than comparison with immediately preceding year.

Views of Interested Parties:

69. Following are the views of Exporter:

a. In the present investigation, there is no causal link between the alleged dumped imports and injury to the domestic industry as there is no relation between the domestic prices and the import prices and that both are moving in different directions indicating that the import prices have no bearing on the domestic prices.

b. It may be seen that the sales of the domestic industry in the period of investigation have significantly increased as compared to previous year whereas the imports over the same period have significantly come down by over 34% clearly proves the fact that the injury to the domestic industry in the period of investigation is not due to alleged dumped imports from China PR.

c. There is significant increase in depreciation, interest and labour cost due to increase in the net fixed assets/capital employed of the domestic industry whereas there is no increase in the capacity of the company. Thus, the losses to the domestic industry are due to its own injurious decisions but not due to alleged dumped imports.

d. It may be seen that there is a decline in the productivity of the domestic industry over the injury investigation period and it is one more reason for the increase in the cost of the domestic industry. Thus, the decline in the productivity of the domestic industry also proves the fact that injury to the domestic industry is not due to alleged imports from China.

e. It may be seen that the demand of the subject goods has also come down significantly in the period of investigation by 12% as compared to immediately previous year. It is submitted that the decline in demand but not the alleged imports from china caused injury to the domestic industry.

Examination by the Authority:

70. The Authority has examined whether other factors listed under the Anti-dumping Rules could have contributed to injury to the domestic industry. The examination of causal link between dumping and material injury to the domestic industry has been done as follows:

a) Imports from third country

71. The imports from country other than the subject country are not significant in volume terms so as to cause or threaten to cause injury to the domestic industry

b) Contraction in demand

72. The exporter has stated that there is decline in demand and increase in production/sales of domestic industry during POI as compared to immediate preceding year. The authority notes that the analysis of the various factors has to be made for the injury period as a whole and it is noted that the demand for the subject goods has

shown significant improvement during the injury period. It has increased significantly in the POI as compared to the base year. Therefore, possible contraction in demand could not have caused injury to the domestic industry.

c) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

73. The Authority notes that there is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.

d) Changes in pattern of consumption

74. The domestic industry is producing the type of goods that have been imported into India. Possible changes in pattern of consumption are not a factor that could have caused claimed injury to the domestic industry.

e) Export performance

75. Claimed injury to the domestic industry is not on account of possible significant deterioration in export performance of the domestic industry. In fact, exports by the domestic industry have not materially declined. In any case, the authority has considered domestic performance wherever possible.

f) Performance of the domestic industry with respect to other products

76. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the domestic industry has not affected the assessment made by the Authority of the domestic industry's performance. The information considered by the Authority is with respect to the product under consideration only.

g) Productivity of the domestic industry

77. The Authority notes that the productivity of the domestic industry has followed the same trend as production and therefore deterioration in productivity is not the major cause of the injury to the domestic industry.

I. FACTORS ESTABLISHING CAUSAL LINK

78. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance of the domestic industry has materially deteriorated due to dumped imports from China PR. Causal link between dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds:

a) Imports are undercutting the prices of the domestic industry

b) The volume of imports from China PR has increased significantly.

c) The consumers have increasingly switched their requirements to exporters from China PR as a result of significant price difference. Thus, the price undercutting has led to significant increase in market share of imports and decline in market share of the domestic industry.

d) The presence of dumped imports in the country is preventing the domestic industry from increasing its prices in proportion to the rise in costs.

e) The subject imports are underselling the product sold by the domestic industry.

f) Deterioration in profits, return on capital employed and cash profits is a direct consequence of dumped imports.

g) The market share of dumped imports increased over the injury period.

h) As a result of significant price undercutting and underselling, capacity utilization of the domestic industry has not increased.

i) The growth of the domestic industry became negative in terms of a number of price related economic parameters.

79. The above grounds clearly establish existence of causal link between the dumped imports and injury to the domestic industry. Thus, the Authority proposes to conclude that the domestic industry suffered material injury due to dumped imports of the subject goods originating in or exported from China PR.

J. MAGNITUDE OF INJURY AND INJURY MARGIN

80. The Authority has determined non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules, as amended. The non-injurious price so determined has been compared with the landed prices of imports from China PR. The proposed injury margin for non-coperative producers and exporters from China PR has been determined by the Authority on the basis of best available facts.

Injury Margin

Sl. No.	Producer	Exporter	Non Injurious Price (US$/Kg)	Landed Value (US$/Kg)	Injury Margin (US$/Kg)	Injury Margin (%)	Injury Margin Range (%)
1	Changzhou Yabang –Pharmachem Co. Ltd, China PR(Yabang-QH)	Changzhou QH Pharmaceutical & Technology Co. Ltd. China PR (QHPT)	***	***	***	***	45-55
2	Any other from China PR	Any other from China PR	***	***	***	***	50-60

Post disclosure Statements/Submissions

81. The submissions made and points raised are the same as raised earlier and dealt with above in this finding. However, they are being summed up again hereunder:

Post Disclosure Statement submissions by the Domestic Industry

a. The response filed by Yabang-QH and QHPT should be rejected and no individual rate should be determined for Yabang-QH and QHPT. YAHUI and QHPT have not filed their individual questionnaire response in the subject investigation with in time limit prescribed by the authority. QHPT has filed at the very fag end of the investigation and due to such delay the right of the domestic industry to provide meaningful comments on exporters' response has been curtailed. Therefore, the response by QHPT cannot be accepted at this stage of investigation. Therefore in the light of above and past precedents, the exporter questionnaire response submitted by QHPT after such unreasonable delay should be rejected. Both YAHUI and QHPT should be treated as non-cooperative in the present investigation.

b. The performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance of the domestic industry has materially deteriorated due to dumped imports from China PR. The domestic industry is injured on various counts:

i. Imports are undercutting the prices of the domestic industry

ii. The volume of imports from China PR has increased significantly.

iii. The consumers have increasingly switched their requirements to exporters from China PR as a result of significant price difference. Thus, the price undercutting has led to significant increase in market share of imports and decline in market share of the domestic industry.

iv. The presence of dumped imports in the country is preventing the domestic industry from increasing its prices in proportion to the rise in costs.

v. The subject imports are underselling the product sold by the domestic industry.

vi. Deterioration in profits, return on capital employed and cash profits is a direct consequence of dumped imports.

vii. The market share of dumped imports increased over the injury period.

viii. As a result of significant price undercutting and underselling, capacity utilization of the domestic industry has not increased.

ix. The growth of the domestic industry became negative in terms of a number of price related economic parameters.

c. The Applicant requests the Authority to levy the antidumping duty on imports of subject goods from China PR.

Submissions by the Exporter/Producer

d. A single dumping margin be determined for all the group companies represented in the investigation. The request is not for the determination of dumping margin for YAHUI separately but only for making applicable the dumping margin determined for Yabang-QH and QHPT on to YAHUI.

e. DA should determine a suitable third-country for determination of normal value for NME countries. However, the procedure prescribed by law in the present case has not been followed as the interested parties have not been put to notice about selection of the market economy third country nor the exporters from such market economy third

country have been requested to make necessary information available to the Authority for normal value determination for China PR.

f. The complete details of computation of constructed normal value have not been provided. In the absence of these details, the exporter is not in a position to submit their comments and that it has affected their rights to defend their case fully and resulted into denial of rights under principles of natural justice.

Examination by the Authority

82. The issues put forward by the producers/exporters and DI have already been addressed in relevant paragraphs. However, for the sake of clarity, some of the issues are being addressed here in below in brief:

a. The responding exporter has provided all the details relating to the complete value chain. The producer namely M/s Changzhou YabangPharmachem Co., Ltd. (Yabang QH) is a holding company and the other two companies i.e. M/s. Lianyungang YAHUI Pharmachem Co. Ltd. (YAHUI) and M/s. Changzhou QH Pharmaceutical & Technology Co., Ltd. (QHPT) are the 100% wholly owned subsidiary companies. The exports are undertaken by the subsidiary named QHPT. The other subsidiary YAHUI is only engaged in supply of intermediate raw materials to Yabang- QH, who produces the subject goods. Since YAHUI has not produced or exported the subject goods during POI, they cannot be considered for granting the dumping margin. However, sufficient detailed data was furnished by the responding company and therefore, DA has decided to accept the responding exporter as the co-operative exporter.

b. The authority notes that none of the producers/exporters from China PR have filed Market economy questionnaire and therefore the authority is unable to examine the market economy claims of producers/exporters from China PR. With regard to submission of interested parties that Authority is required to first identify the market economy third country for determination of normal value and only where it is not possible to obtain necessary data from such third country the normal value is to be determined on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India. The authority notes that none of the interested parties have suggested which market economy third country for determination of normal value should be considered and no information has been provided. Accordingly, the authority decided to determine the normal value in China PR for all producers/exporters on the basis of facts available, in terms of para 7 of Annexure I to the Anti-dumping Rules.

Conclusion

83. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:

a. The subject goods have been exported to India from the subject country below its associated normal value;

b. The domestic industry has suffered material injury;

c. The material injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from subject country.

Indian Industry's Interest And Other Issues

84. The Authority recognizes that imposition of antidumping duties might affect the price level of product in India. However, fair competition in Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantage gained by dumping practices, would arrest the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. Consumers could still maintain two or more sources of supply.

85. The Authority notes that the purpose of antidumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

RECOMMENDATIONS

86. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules and having established positive dumping margins as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of antidumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country in the form and manner described hereunder.

87. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the antidumping duty equal to the amount indicated in Col No.9 of the table below is recommended to be imposed on all imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

Duty Table									
Sl. No	Tariff Item	Description of Goods	Specification	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount (in USD)	UOM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	29 33 2950	Albendazole	Any specification	China PR	China PR	Changzhou Yabang – Pharmachem Co. Ltd, China PR (Yabang-QH)	Changzhou QH Pharmaceutical & Technology Co. Ltd. China PR (QHPT)	9.31	KG
2	29 33 2950	Albendazole	Any specification	China PR	Any country other than China PR	Any	Any	10.02	KG
3.	29 33 2950	Albendazole	Any specification	Any country other than China PR	China PR	Any	Any	10.02	KG

88. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

89. An appeal against the order of the Central Government arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

A. K. Bhalla, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.